खण्ड-410, अंक-9
बुधवार, 9 चैत्र, शक संवत् 1916
(30 मार्च, 1994 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1994)

खण्ड 410 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1994

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
प्रश्नोत्तर	1–54
वर्तमान विधान सभा के सदस्य श्री देवकी नन्दन के निधन पर शोकोद्गार ..	55–60
नत्थियां	61–67

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 30 मार्च, 1994

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखलाख, श्री	मेरठ	प्रीतम सिंह, श्री	देहरादून
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	फजलुर्रहमान अंसारी, श्री	बहराइच
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	फौजदार प्रसाद, श्री	मऊ
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	बरकत अली खां, श्री	सुल्तानपुर
अम्बिका, श्री	बलिया	बी0 आर0 वर्मा, श्री	आजमगढ़
अरविन्द कुमार, श्री	ललितपुर	बरफिया लाल जुवांठा, श्री	उत्तर काशी
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा	बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
अशोक बाजपेई, श्री	हरदोई	बाल गोविन्द राजबंशी, श्री	सीतापुर
उदय भान सिंह, श्री	आगरा	भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
ओंकार सिंह, श्री	एटा	भागवत पाल, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर	मनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
ओम प्रकाश गुप्ता, श्री	सीतापुर	मनोहर लाल, श्री	उन्नाव
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर	महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	मारकण्डेय सिंह, श्री	बलिया
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया	मुक्ति नाथ, श्री	देवरिया
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़	यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद	योगेन्द्र कुमार सागर, श्री	बदायूं
गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद	रघुराज प्रताप सिंह, कुंवर उर्फ राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़
घनश्याम शुक्ल, श्री	गोण्डा	रमेश बहादुर, श्री	प्रतापगढ़
चन्द्र भूषण सिंह उर्फ मुन्नूबाबू, श्री	फर्रुखाबद	राजवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
चन्द्र विजय सिंह उर्फ बेबी राजा, श्री	मुरादाबाद	राजीव कुमार, श्री	नैनीताल
जगदम्बा, श्री	बस्ती	राजेन्द्र सिंह, श्री	बिजनौर
जगरनाथ चौधरी, श्री	जौनपुर	राजेश कुमार, श्री	बदायूं
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	रानी देव लता, श्रीमती	सहारनपुर
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर	राम किशोर विन्द, श्री	वाराणसी
तीरथ राज, श्री	सोनभद्र	राम प्रकाश गुप्त, श्री	लखनऊ
तेजपाल सिंह, श्री	बिजनौर	राम प्रसाद, श्री	बुलन्दशहर
दरोगा, श्री	आजमगढ़	राम सेवक सिंह, श्री	बदायूं
दीना नाथ भास्कर, श्री	वाराणसी	राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर	रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
दौलत राम, श्री	सीतापुर	लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
धर्मपाल यादव उर्फ डी0 पी0 यादव, श्री	बुलन्दशहर	लालजी, श्री	वाराणसी
नन्द किशोर मिश्रा, श्री	देवरिया	विक्रमा सिंह, श्री	बलिया
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
प्रताप सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद	विनय कुमार पाण्डेय उर्फ विन्नू, श्री	गोण्डा
		विश्वनाथ, श्री	देवरिया

वीरेश्वर सिंह उर्फ वीरेश यादव, श्री	अलीगढ़
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शिव प्रताप यादव, डा०	गोण्डा
शिव प्रताप शुक्ल, श्री	गोरखपुर
शिव राज सिंह कुशवाहा, श्री	जालौन
शिवेन्द्र, श्री	महराजगंज
शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टिहरी गढ़वाल
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्री राम सिंह, श्री	गोण्डा
संग्राम सिंह यादव, श्री	बलिया
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सज्जन पाल सिंह उर्फ रज्जन पाल सिंह, श्री	एटा
सत्य प्रकाश, श्री	मुरादाबाद
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश, श्री	मुरादाबाद
स्वयंबर चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर देहात

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

प्रश्नोत्तर†

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में कृषक हितों के रक्षार्थ "कृषक बन्धु समिति" के गठन की मांग

**1–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार एक उच्चस्तरीय "कृषक बन्धु समिति" का गठन करेगी ? यदि हां, तो उक्त समिति का गठन कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

वर्तमान में ऐसी किसी समिति के गठन का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्र की भांति प्रदेश में प्रत्येक सप्ताह पांच कार्य दिवस करने विषयक जानकारी

**2–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खर्चों में कटौती करने के उद्देश्य से क्या केन्द्र सरकार की तरह से प्रदेश सरकार की भी प्रत्येक सप्ताह में पांच कार्य दिवस किये जाने की कोई योजना है?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदेश में पांच दिवसीय कार्य दिवस किये जाने की सम्प्रति कोई योजना नहीं है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में सरकारी डाक्टरों की प्राइवेट-प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध

*1–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश में सरकारी डाक्टरों की निजी प्रैक्टिस करने पर रोक लगाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उक्त निर्णय कब तक लागू हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

प्रतिबन्ध लगा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

---

†उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम-41 के अनुसार सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्राविधानानुसार उर्वरक निरीक्षकों द्वारा उर्वरकों का परीक्षण एवं कार्यवाही

*2–श्री हृदय नारायण–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उर्वरकों में मिलावट के मामले प्रकाश में आये हैं ? यदि हां, तो बढ़ रही इस मिलावट को रोकने के संबंध में सरकार ने क्या उपाय किये हैं ? क्या सरकार जिला स्तर पर पहले से स्थापित मिट्टी की जांच के लिए चल रही मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को उर्वरकों की मिलावट के रसायनिक परीक्षण हेतु सुदृढ़ करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, अमानक उर्वरकों के मामले प्रकाश में आये हैं ।

उर्वरकों की गुणवत्ता नियंत्रित करने हेतु प्रदेश में उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के प्राविधानानुसार उर्वरक निरीक्षकों द्वारा व्यवसाइयों के परिसर पर व्यापक रूप से छापे डालकर निरीक्षणोपरान्त नमूने लिए गए हैं । अमानक पाए गए नमूने की दशा में उक्त नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है ।

जी हां, जिला स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण किसानों को सलाह देने के उद्देश्य से उनके द्वारा लाये गये उर्वरक नमूनों के विश्लेषण हेतु किया जा रहा है, परन्तु इन जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं में उर्वरक निरीक्षकों द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्राविधानानुसार लिए गए नमूनों का विश्लेषण अभीष्ट नहीं है ।

उक्त उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के अधीन गृहीत उर्वरक नमूनों के रसायनिक परीक्षण हेतु प्रयोगशालाएं पहले से ही अधिसूचित हैं ।

प्रदेश में चिकित्साधिकारियों का स्थानान्तरण एवं रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में

*3–श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के सरकारी चिकित्सालयों में डाक्टरों की अत्याधिक कमी है और गांवों में सिर्फ लिखा-पढ़ी में अस्पताल चलाये जा रहे हैं ? क्या यह भी सही है कि प्रदेश के चिकित्सालयों में तैनात करीब दो हजार डाक्टर न स्थानान्तरण पर गये और अपने कार्यस्थल पर नहीं लौटे लेकिन अपनी क्लीनिक चला रहे हैं ? सरकार उपरोक्त परिस्थितियों के निराकरण हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं । 1439 डाक्टरों के स्थानान्तरण हुए थे जिनमें से अधिकांश चिकित्साधिकारियों ने सांगदान कर लिया है । केवल पर्वतीय क्षेत्र में कार्यमुक्त नहीं हो सके हैं ।

चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के जनपदों में हैजा तथा संक्रामक रोगों के रोकथाम के उपाय

*1–श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1992 से 15-12-1993 तक विभिन्न जनपदों में हैजा तथा अन्य संक्रामक रोगों से कितने लोगों की मृत्यु हुई है ? उनकी रोकथाम हेतु क्या उपाय किए गए ? स्थान विशेष वाराणसी/आगरा में हैजा को रोकने में विफलता हेतु शासन द्वारा किसी को जिम्मेदार पाया गया है ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम यादव–

1992 में हैजा से एक, आंत्रशोथ से 661 एवं पीलिया से 42 रोगियों की मृत्यु हुई थी जबकि वर्ष 1993 में हैजा से दो, आंत्रशोथ से 506 एवं पीलिया से 31 रोगियों की मृत्यु हुई ।

हैजा तथा अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु निम्नांकित उपाय किये गये :–

1–वर्ष 1992 में 14,09,671 हैजा निरोधक टीके एवं 1993 में 45,42,479 हैजा निरोधक टीके लगाये गये ।

2–औषधियां, विसंक्रामक तथा अन्य आवश्यक सामग्रियां समस्त जनपदों को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराई गयी ।

3–संवेदनशील एवं प्रभावी क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया ।

4–प्रभावित जनसंख्या को प्रथम सूचना प्राप्त होते ही युद्ध स्तर पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी गयी ।

5–पेयजल के विसंक्रमण हेतु व्यापक रूप से लोगों में क्लोरीन गोलियां वितरित की गयी ।

6–विभाग द्वारा कुओं का नियमित विसंक्रमण विभिन्न चक्रों में करने की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी । वर्ष 1992 में किए गए कुओं का विसंक्रमण (चक्रों में) 14.79,140 था जबकि वर्ष 1993 में 25.62.957 कुओं का विसंक्रमण चक्रों में किया गया ।

7–समय-समय पर पेयजल की शुद्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जनपद में जल परीक्षण किया गया । वर्ष 1993 में लिये गये ओ0 टी0 टेस्टों की संख्या–1,12.967 जिसमें 91,638 धनात्मक एवं 21,329 ऋणात्मक पाये गये ।

8–संक्रामक रोगों के नियंत्रण हेतु शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए पानी की पाइप लाइनों की मरम्मत एवं आपूर्ति प्रणाली, पम्पिंग स्टेशनों, ओवर हेड टैंकों के नियमित क्लोरीनेशन की व्यवस्था की गयी ।

9–प्रभावित जनपदों को उनकी मांग एवं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बजट प्रदान किया गया ।

10–शासन एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा वर्ष भर प्रदेश में संक्रामक रोगों की स्थिति का दैनिक अनुश्रवण किया गया तथा समुचित निर्देश दिये गये ।

जी नहीं ।

किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में मण्डल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जाना

*2–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या मुख्य मंत्री प्रदेश में मण्डल कमीशन की सिफारिशें लागू करेंगे ? यदि हां, तो इसका क्या प्रारूप होगा तथा यह कब तक लागू हो जायेगा ? क्या सरकार प्रदेश में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करेगी ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत आर्थिक आधार पर गरीबों को आरक्षण देगी तथा कब से यह व्यवस्था लागू होगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मंडल आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित किया गया था । केन्द्रीय सरकार के अनुरूप ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग हेतु राज्याधीन सेवाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य कर दिया गया है तथा उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कर दी गयी है ।

मा0 उच्चतम् न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16-11-92 के द्वारा भारत सरकार की सेवाओं में आर्थिक आधार पर अनुमन्य कराये गये आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुये निरस्त कर दिया है । अतः प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने के लिये संविधान में संशोधन हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में चिकित्सा विभाग द्वारा चिकित्साधिकारियों के नियमित चयन हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जाना

*3–श्री विजय सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1990-91 में उत्तर प्रदेश में कितने एम0 बी0 बी0 एस0 डाक्टरों के पद सृजित करके लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किया गया था ? उन चयनित डाक्टरों के अतिरिक्त कितने प्रतीक्षा सूची में चयनित डाक्टर्स थे ? उपरोक्त नियमित चयनित डाक्टर्स में से कितने सेवा में लिए गए और कितने चयनित डाक्टरों को नियुक्ति पत्र जारी करने के बावजूद भी सेवारत नहीं हुए ? क्या सरकार बतायेगी कि जो डाक्टर्स ड्यूटी ज्वाइन नहीं किये, उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची के डाक्टरों को जिनकी तदर्थ नियुक्ति 1990-91 में की गयी थी और जो आज तक सेवारत भी हैं उनको नियमित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

वर्ष 1990-91 में 2683 डाक्टरों का चयन लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया था । उक्त चयनित डाक्टरों के अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची में 252 अभ्यर्थियों को लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किया गया था नियमित चयनित डाक्टर्स में 1546 ने कार्यभार ग्रहण किया जिनमें 32 चिकित्सक प्रतीक्षा सूची के भी सम्मिलित

हैं और 1137 ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया । जिन चिकित्साधिकारियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था, उन रिक्त पदों को वर्ष 1991-92 के अधियाचन में सम्मिलित करते हुए लोक सेवा आयोग को 2044 पदों पर नियमित चयन हेतु अधियाचन भेजा गया । चूंकि प्रश्नगत 1137 रिक्तियां अब चयनित वर्ष 1990-92 की नहीं मानी जा सकतीं तथा उन्हें वर्ष 1991–92 के अधियाचन में सम्मिलित कराकर चयन कराया जा चुका है । अतः वर्ष 1990-91 की प्रतीक्षा सूची के शेष चिकित्सकों को नियुक्ति प्रदान किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

[बुधवार, दिनांक 30 मार्च, 1994 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में औषधि निरीक्षकों के वेतनमान विसंगति का विचाराधीन प्रकरण

*1–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में औषधि निरीक्षकों का वेतनमान केन्द्र सरकार के औषधि निरीक्षकों के वेतनमान के बराबर है ? यदि नहीं, तो एक ही ड्रग एक्ट के अधीन सेवारत औषधि निरीक्षकों के असमान वेतनमान का औचित्य क्या है तथा कब तक समान वेतनमान कर दिया जायेगा ?

श्री बलराम यादव–

प्रदेश के औषधि निरीक्षकों के वेतनमान विसंगति का प्रकरण मुख्य सचिव समिति के विचाराधीन है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जखोली की पट्टी नैलचामी में बाढ़ की रोकथाम हेतु योजना

*2–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जखोली की पट्टी नैलचामी में बाढ़ से कब-कब कितना नुकसान हुआ ? क्या इस बाढ़ से हुई क्षति की रोकथाम के लिए योजना बनाई गई थी ? क्या इस योजना को लागू किया गया ? यदि हां, तो कितना काम किया गया ? कितना कार्य अवशेष रह गया है ? क्या सरकार इस अवशेष कार्य को पूर्ण कराने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक यह कार्य पूर्ण हो जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जखोली की पट्टी नैलचामी गाड़ में 37 वर्ष पूर्व बाढ़ आयी थी जिससे कृषि भूमि को नुकसान हुआ था किन्तु बाढ़ से हुआ नुकसान ज्ञात नहीं हो सका । इसके अतिरिक्त वर्ष 1987-88 से पूर्व के पांच वर्षों में आयी बाढ़ से ग्रामवासियों की कृषि योग्य भूमि का कटान हो गया था । वर्ष 1986 में 2 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई थी ।

जी हां ।

जी हां ।

नैलचामी गाड़ पर बाढ़ नियंत्रण परियोजना में 1154 सीमेन्ट कंक्रीट के ब्लाकों और 5 घाटों का निर्माण किया गया है ।

कोई कार्य अवशेष नहीं रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा के अन्तर्गत ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग स्थित खारी नदी पर पिनानी रामनगर (झुरकिया घाट पर) जल संग्रह बांध के निर्माण में वित्तीय अनियमितताओं के दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

*3–श्री बदन सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के अन्तर्गत जनपद आगरा में स्थित खारी नदी पर पिन्नामी रामनगर (झुरकिया घाट पर) जल संग्रह बांध निर्मित होने के शीघ्र बाद पहली बरसात में 7 जुलाई, 1993 को ही टूट गया था ? यदि हां, तो क्या बांध बनाने वाले दोषी अभियन्ता को दण्डित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास तथा क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री श्रीराम यादव)–

जी नहीं । वस्तुतः वर्षा के कारण बांध की मुख्य संरचना नहीं टूटी अपितु केवल पहुंच मार्ग में कटान हुआ था । बांध के परिकल्प के संबध में सिंचाई विभाग से तकनीकी रिपोर्ट मांगी गयी है, जिसके प्राप्त होने पर अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी । इस बांध के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग करने तथा वित्तीय अनियमितताएं बरतने के लिए दोषी अभियन्ताओं को निलम्बित करके उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है ।

*4–श्री मित्रसेन यादव–

[दि0 24-3-94 को ता0 प्र0 सं0–7 द्वारा उत्तरित]

कृषि विश्व विद्यालय पंतनगर, जनपद नैनीताल में स्नातक शिक्षा की सुविधा

*5–श्री बची सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में वर्ग 3 के पदों की शैक्षिक योग्यता इण्टर कृषि विज्ञान से बढ़ाकर स्नातक कृषि विज्ञान कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि पर्वतीय क्षेत्र में कृषि विज्ञान के केवल इण्टर कालेज ही स्थित हैं ? यदि हां, तो क्या पर्वतीय क्षेत्र में शैक्षिक योग्यता पूर्ववत् इण्टर कृषि विज्ञान की जायेगी ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

पर्वतीय क्षेत्र के नैनीताल जनपद में स्थापित कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में स्नातक स्तर पर कृषि विज्ञान की शिक्षण सुविधा उपलब्ध है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*6–श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

[5वें मंगलवार में ता0 प्र0 सं0–5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सीतापुर स्थित नेत्र चिकित्सालय में कार्यरत कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के भुगतान की जानकारी

*7–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आंख का अस्पताल, सीतापुर के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार घोषित वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो उक्त अधिनियम के अनुसार उक्त कर्मचारियों को वेतन दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं ।

सीतापुर नेत्र चिकित्सालय एक स्वैच्छिक संस्था है । न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार उक्त चिकित्सालय के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी है । संस्था द्वारा अधिनियम के अनुसार न्यूनतम वेतन दिये जाने हेतु अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था किन्तु संस्था द्वारा नियमानुसार तुल्य अंशदान वहन करने की असमर्थता व्यक्त करने के कारण प्रार्थना पत्र अस्वीकृत कर दिया गया है । इस संबंध में संस्था द्वारा यदि घाटापूर्ति हेतु अनुदान के लिए आवेदन किया जायेगा, शासन द्वारा यथासमय नियमानुसार विचार कर लिया जायेगा ।

जनपद गिरजापुर स्थित चिकित्सालय में रोगियों को उपलब्ध सुविधाएं

*8–श्री श्याम देो राय चौधरी "दादा"–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् एवं कृषि उत्पादन मण्डी समिति में विभिन्न श्रेणी में पिछड़ी जाति का कोटा पूरा करने की मांग

*9–श्री हरी शंकर माहौर, इंजी0 रामलोटन सिंह पटेल तथा श्री चन्द्र किशोर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् एवं कृषि उत्पादन मण्डी समितियों में विभिन्न श्रेणी के विद्यमान पदों पर पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व कितना है ? क्या पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व कम है ? यदि हां, तो इसे पूर्ण कराने की दिशा में क्या कोई कार्यवाही की गई है ? सामान्य रिक्त के पद के विरुद्ध पिछड़ी जाति के सदस्यों का प्रतिनिधित्व की संख्या/प्रतिशत कितना है ? पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित रिक्ति के विरुद्ध पिछड़ी जाति का विद्यमान पद में प्रतिनिधित्व की संख्या/प्रतिशत कितना है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*10–डा0 राम बाबू हरित–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण के अन्तर्गत प्रति यूनिट लेवी चीनी का वितरण

*11–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में राशन कार्ड पर प्रति यूनिट चीनी का वितरण कितनी मात्रा में प्रति किलो हो रहा है ? क्या यूनिट के हिसाब से वितरण पूर्णतः सुनिश्चित है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्रति यूनिट वितरण मात्रा कम कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन कार्ड पर मैदानी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 300 ग्राम प्रति यूनिट व पर्वतीय क्षेत्रों में एक कि0ग्रा0 प्रति यूनिट की दर से लेवी चीनी का वितरण सुनिश्चित कराया जाता है । प्रति यूनिट वितरण मात्रा कम नहीं की गयी है ।

जनपद मिर्जापुर स्थित चिकित्सालय में रोगियों को उपलब्ध सुविधाएं

*12–डा0 सरजीत सिंह डंग–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि मिर्जापुर जनपद चिकित्सालय पर आउटडोर और इन्डोर रोगियों को स्प्रिट, पट्टी, सुई इत्यादि साधारण चीजों को खुले बाजार से खरीदना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या विभाग द्वारा उक्त सामानों को वहां उपलब्ध कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में नलकूप निर्माण हेतु अनुमन्य निर्धारित अनुदान

*13–श्री बशीर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में लघु सिंचाई विभाग द्वारा (रिंग मशीन द्वारा) लगाए जा रहे निजी नलकूपों में दी जाने वाली अनुदान राशि, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में एक जैसी है ? यदि नहीं, तो किन-किन क्षेत्रों में कितनी-कितनी अनुदान राशि दी जा रही है ? क्या यह सही है कि बुन्देलखण्ड सिंचाई के क्षेत्र में सबसे पिछड़ी मण्डल है ? क्या रिंग मशीन द्वारा लघु सिंचाई विभाग के नलकूपों में अनुदान राशि, प्रति नलकूप एक लाख रुपए किए जाने की शासन की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी नहीं ।

वर्तमान में बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में नलकूप की लागत का 50% अधिकतम रु0 50,000 की सीमा तक अनुदान अनुमन्य है, प्रदेश के शेष पठारी, कठिन एवं गहरे स्ट्राटा वाले क्षेत्र में वास्तविक लागत का 50% अधिकतम रु0 30,000 तक अनुदान अनुमन्य है ।

जी हां, (मैदानी मण्डलों में) ।

जी नहीं, क्योंकि इसमें पूर्व निर्धारित औसत, गहराई के लिए नलकूप निर्माण में लागत 2.00 लाख या उससे अधिक नहीं आ रही है ।

प्रदेश में अम्बेडकर ग्राम घोषित करने का मानक एवं चयनित ग्रामों में सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग

*14–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 1994-95 में कितने अम्बेडकर ग्राम घोषित किए जाने का लक्ष्य है ? इसके लिए क्या मानक निर्धारित है ? एक ब्लाक/खण्ड में कितने अम्बेडकर गांव हो सकते हैं ? अम्बेडकर ग्राम घोषित किये जाने के बाद उनमें क्या-क्या सुविधाएं अनुमन्य है ?

श्री श्रीराम यादव–

प्रदेश के 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी वाले सभी 9,493 ग्रामों को अम्बेडकर ग्राम नामित कर सुनियोजित विकास हेतु लिया जायेगा ।

अम्बेडकर ग्राम के रूप में ऐसे ग्रामों का चयन किया जाता है जहां की आबादी में अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक हो ।

कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है ।

चयनित ग्रामों में निम्न सुविधाएं अनुमन्य हैं :–

1–निःशुल्क बोरिंग एवं पम्प सेट की सुविधा उपलब्ध कराना ।

2–अम्बेडकर ग्रामों के पात्र परिवारों को एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाना ।

3–ट्रेड्सिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जाना ।

4–अम्बेडकर ग्रामों को मुख्य मार्गों से सड़क से जोड़ा जाना ।

5–प्रत्येक अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्ती में खड़ंजे एवं नालियों का निर्माण ।

6–निर्बल वर्ग आवास एवं इन्दिरा आवास योजना को अम्बेडकर गांव हेतु प्राथमिकता दिया जाना ।

7–प्रत्येक अम्बेडकर गांव में कम से कम दो इण्डिया मार्क-2 के दो हैण्ड पम्प लगाया जाना ।

8–अम्बेडकर ग्रामों में प्राइमरी पाठशाला उपलब्ध कराया जाना ।

9–समस्त अम्बेडकर ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना ।

10–नवजात शिशुओं का टीकाकरण ।

11–पशुओं का टीकाकरण एवं उनके स्वास्थ्य के परीक्षण की व्यवस्था किया जाना ।

12–समन्वित बाल विकास योजना लागू किया जाना ।

13–10 लाख कूप योजना के अन्तर्गत सिंचाई हेतु उथले एवं गहरे नलकूप उपलब्ध कराया जाना ।

जनपद गाजियाबाद की तहसील दादरी स्थित एन0 टी0 पी0 सी0 के समीप नाले के पीछे पानी से फसल क्षतिग्रस्त होना

*15–श्री समीर भाटी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद की तहसील दादरी में एन0 टी0 पी0 सी0 के पास जो नाला है उसके पानी से किसानों की हजारों बीघा जमीन पर उगी हुई फसल का नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो उस नाले से किसानों को हुए इस वर्ष फसल के नुकसान का सरकार मुआवजा देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार किसानों की होने वाली इस बर्बादी को रोकने का उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद गाजियाबाद की तहसील दादरी में एन0 टी0 पी0 सी0 के पास हसनपुर नाला के पानी से वर्तमान में फसल रबी में किसानों की उगी हुई फसल को कोई नुकसान नहीं हो रहा है । गत फसल खरीफ में भी किसानों की फसल को ऐसी कोई क्षति नहीं हुई जिस पर रिलीफ देय हो ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*16–श्री धर्म पाल यादव उर्फ डी0 पी0 यादव–

[दि0 16-3-94 को अल्प सू0 ता0 प्र0 सं0-2 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में ग्राम्य विकास अधिकारी के प्रशिक्षण अवधि न बढ़ाने की मांग

*17–श्री जमुना प्रसाद मिश्र–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 1993 में चयनित ग्राम्य विकास अधिकारी के पद के अभ्यर्थियों का प्रशिक्षणकाल 6 माह का था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि प्रशिक्षण अवधि दो वर्ष की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार प्रशिक्षण अवधि न बढ़ाकर सरकारी धन का दुरुपयोग रोकेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में फसल को रोगों से बचाने के उपाय

*18–श्री रंगनाथ

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फसल को रोगों से बचाने के लिए किसानों को किस दवा पर कितना अनुदान सरकार दे रही है ? क्या कृषि रक्षा इकाइयों पर नकली दवा बेची जा रही है ? यदि हां, तो सरकार उसको रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विभिन्न योजनान्तर्गत खरीदवार नाशक रसायन तथा कीट/रोगों के उपचार हेतु संलग्न विवरण के अनुसार दी जा रही दवाओं पर 25% से 50% का अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(शेषांश तारांकित संख्या आगे पृष्ठ 61–64 पर)

जनपद पौड़ी गढ़वाल की क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की मरम्मत

*19–श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि पिछली बरसात में पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर पौड़ी गढ़वाल में हुई भारी वर्षा के कारण अधिकांश पेयजल, सिंचाई योजनाएं बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं ? क्या ग्राम मंजेड़ा, डांगरी पातल, धूरा-धनाई, पडौला आदि गांवों को अन्यत्र बसाने को विवश होना पड़ रहा है ? क्या रदोह पनियाली, मालन आदि नदियों ने कृषकों की उपजाऊ भूमि का कटाव बड़ी मात्रा में किया है ? पेयजल, सिंचाई योजनाओं के पुनः निर्माण व बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी हां ।

गढ़वाल जल संस्थान के नियंत्रणाधीन जिला अधिकारी गढ़वाल से अनुमोदित 14 क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं पर विशेष मरम्मत कार्य किया जाना प्रस्तावित है । आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की मरम्मत कर पेयजल आपूर्ति उपलब्ध करा दी गयी है । जल निगम की जनपद पौड़ी की 41 क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं में से 12 का मरम्मत कार्य पूर्ण हो गया है और शेष 29 योजनाओं का मरम्मत कार्य वर्ष 1994-95 के बजट से किया जायेगा ।

जनपद पौड़ी की 51 सिंचाई योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई थीं जिनकी मरम्मत हेतु शासन द्वारा रु0 15 लाख स्वीकृत किया गया है । बाढ़ सुरक्षा के लिए गिवांई स्त्रोत, पनियाली स्रोत तथा खोह नदी की बाढ़ सुरक्षा योजना स्वीकृत की गई है जिस पर सिंचाई विभाग द्वारा कार्य आरम्भ किया जा चुका है । सुरारी व मालन नदी बाढ़ सुरक्षा योजनाओं का सर्वेक्षण कार्य गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पिथौरागढ़ नगर के अवशेष क्षेत्र में सीवर लाइन डालने की मांग

*20–श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि 30 हजार आबादी वाले पिथौरागढ़ नगर में केवल 1/4 हिस्से में ही सीवर लाइन बिछाई गई है ? क्या बढ़ती हुई आबादी एवं बढ़ती हुई पर्यटकों की संख्या को देखते हुए सरकार के पास शेष भाग में सीवर लाइन बिछाने हेतु कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक योजना शुरू की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

उपरोक्तानुसार लागू नहीं ।

एक लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में सीवर योजना स्वीकृत करने का प्राविधान वर्तमान में नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बुलन्दशहर की तहसील सिकन्दराबाद में निर्मित बांध पर क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत की मांग

1–श्री समीर भाटी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर के ग्राम आकूलपुर मामनाथल सकीपुर खामपुर में यमुना का बांध बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या बांध पर आवागमन हेतु विभाग एवं संबंधित लोगों को जाने के लिए सड़क्या एवं सड़क का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो उस सड़क की मरम्मत का कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

बांध पर 8.843 कि0मी0 लम्बाई में सड़क्या तथा 6.8 कि0मी0 लम्बाई में कार्ट ट्रैक निर्मित है । बांध पर सड़क का निर्माण नहीं किया गया है ।

क्षतिग्रस्त सड़क्ये तथा ट्रैक की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद की तहसील हण्डिया के विकास खण्ड सैदाबाद के ग्राम सभा मनीपुर के निवासियों द्वारा नलकूप की नाली तोड़े जाने के संबंध में शिकायती पत्र प्राप्त न होना

2–श्री जवाहर लाल दिवाकर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद, तहसील हण्डिया, विकास खण्ड सैदाबाद, ग्राम सभा मनीपुर के नलकूप सं0 323 एच की पक्की नाली क्या

ग्राम सभा के दबंग लोगों के द्वारा तोड़ी गयी है ? क्या यह भी सही है कि ग्राम सभा मनीपुर के निवासियों द्वारा अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड द्वितीय एवं जिलाधिकारी, इलाहाबाद को वर्ष 1989 एवं 1993 का (30-9-93) शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो जांच करके दोषी व्यक्तियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कौन-कौन सी कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

नलकूप की नाली तोड़ने के संबंध में अधिशासी अभियन्ता को सीधे अथवा जिलाधिकारी, के माध्यम से शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद वाराणसी के ब्लाक पिण्डरा के ग्राम सभा चिकरापुर में सम्पर्क मार्ग का निर्माण

3–श्री ऊदल–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि हथिवार से बाजारापुर मार्ग ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी को मण्डी समिति वाराणसी ने बनाया है और करीब 400 मीटर सेना की जमीन (चहार दीवारी) के दक्षिण पश्चिम नहीं बनाया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या इस प्रश्न पर भी जांच की जायेगी कि ग्राम सभा पिंडरापुर, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी के दरवाजे तक डामर की सड़क उक्त मार्ग से पश्चिम में बना दी गयी है ? क्या सरकार पूरी सड़क जो रद्दी बनायी गयी है उसकी तथा चार सौ मीटर के करीब जो छोड़ दी गई है उसकी जांच कराकर गुणवत्ता की भी जांच करायेगी और कार्यवाही करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

क्योंकि चहार दीवारी के दक्षिण हिस्से में तत्समय सम्पर्क मार्ग के लिए भूमि एवं मिट्टी उपलब्ध नहीं थी ।

जी नहीं, स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए ग्राम सभा चिकरापुर ब्लाक पिण्डरा में यह मार्ग बनाया गया है ।

जी हां ।

4–श्री शिवराम सिंह कुशवाहा–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद कानपुर स्थित होम्योपैथिक कालेज की नर्स श्रीमती रानी मिश्रा के प्रत्यावेदन के निराकरण हेतु निर्देश

5–श्री शिव कुमार बेरिया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलग्न समस्याओं के निराकरण हेतु मिलने की पूर्वानुमति प्रदान करने विषयक श्रीमती रानी मिश्रा, नर्स, राजकीय कानपुर

होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, कानपुर के पत्र दिनांक 20-10-93 में उल्लिखित समस्याओं के निराकरण न करने हेतु शासन ने निदेशक होम्योपैथी को क्या कोई निर्देश दिए थे ? यदि नहीं, तो निदेशक, होम्योपैथी ने उक्त पत्र में उल्लिखित समस्याओं के निराकरण हेतु सक्षम अधिकारियों का ध्यान क्यों नहीं आकृष्ट कराया ? पत्र दिनांक 20-10-93 में उल्लिखित समस्याओं के समय से निराकरण न करने के लिए कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी उत्तरदायी हैं ? उनके विरुद्ध क्या और कब तक कार्यवाही करेंगे ?

श्री लालराम यादव–

जी नहीं ।

श्रीमती रानी मिश्रा के प्रत्यावेदन दिनांक 20-10-93, जिसमें उन्होंने अपनी ज्वलन्त समस्याओं–नर्सों का बर्दी भत्ता, पौष्टिक आहार भत्ता, नर्सिंग की ड्यूटी 6-12 घंटे किए जाने, वर्ष 1993 से नकदीकरण की सुविधा, वर्ष 1992-93 में नियमानुसार वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत किए जाने आदि के सन्दर्भ में प्राचार्य, राजकीय कानपुर होम्योपैथिक कालेज, कानपुर को नियमानुसार कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ में आई0 आर0 डी0 पी0 के अन्तर्गत प्रगति

6–श्री लाल बहादुर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आई0 आर0 डी0 पी0 में जनपद प्रतापगढ़ की वास्तविक प्रगति 40% से भी कम है ? क्या संबंधित अधिकारियों द्वारा वर्ष 92-93 में 70% से भी अधिक की प्रगति दिखाई गयी है ? क्या कोई फर्जी प्रगति रिपोर्ट दिखाई गई है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्रीराम यादव–

जी नहीं ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ में जे0 आर0 वाई0 योजनान्तर्गत व्यय धनराशि का विवरण

7–श्री लाल बहादुर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जे0 आर0 वाई0 योजनान्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 92-93 के लिए 40% की धनराशि खर्च की गयी है परन्तु प्रगति रिपोर्ट 70 प्रतिशत की दिखाई गई है तथा इसी प्रकार रोजगार सृजन में भी फर्जी दिखाया गया है ? इन कार्यक्रमों में वित्तीय व भौतिक प्रगति फर्जी दिखायी गयी है, जिसका प्रमाण कार्यदाई विभागों एवं गांव सभाओं की कैशबुक है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री श्रीराम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के ग्राम सभा गहरपुर में नलकूप लगाने की मांग

8–श्री उदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा गहरपुर, ब्लाक आराजी लाइन, जिला वाराणसी प्रतापगढ़ रेलवे लाइन के उत्तर व वरुणा नदी के उत्तर स्थित है ? यदि हां, तो क्या इस गांव में सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं ? क्या सरकार इसका सर्वेक्षण कराकर एक नलकूप गहरपुर के लिए स्वीकृत करने पर विचार करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

इस गांव में सिंचाई में निजी साधन उपलब्ध हैं ।

जनपद प्लान के प्राविधान के अन्तर्गत जनपद स्तरीय सलाहकार समिति की संस्तुति पर जिला चयन समिति द्वारा स्वीकृति के पश्चात् राजकीय नलकूप का निर्माण किया जाता है ।

कृषि विभाग के अन्तर्गत कार्यरत आशुलिपिकों के वेतनमान का प्रकरण

9–श्री लल्लू सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शा0 सं0-3220/12-9-1706/90/कृषि-9/दिनांक 23-9-93 में 470–735 वेतनमान के कर्मचारियों को वेतनमान 1350–2200 में करने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या आशुलिपिक को क्या यह वेतनमान स्वीकृत कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त वेतनमान कब तक दे दिया जायेगा ? क्या शा0 सं0 6141/12-3-90, 86-टी0 सी0, कृषि-3/दिनांक 7-10-86 व शा0 सं0 4167/12-3-88/दिनांक 6-5-88 में क्रमशः 8 एवं 5 स्टेनों के पदों पर 570–1,100 व 515-860 का वेतन सृजित है ? यदि हां, तो उसकी निरन्तरता में क्या कोई गम्भीर अनियमितता की गयी है ? क्या मंत्री जी उक्त पदों की निरन्तरता जारी कराते हुए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । कृषि विभाग के रु0 470–735 के वेतनमान पर आशुलिपिक के पदों के लिए उक्त प्राविधान नहीं किया गया है ।

जी नहीं, क्योंकि आशुलिपिक के पद पर उल्लिखित वेतनमान स्वीकृत करने के संबंध में वित्त विभाग द्वारा संस्तुति प्राप्त नहीं हुई थी ।

शासनादेश दिनांक 7-10-86 द्वारा स्टेनों के 8 अस्थाई पदों का सृजन वेतनमान रु0 570–1100 में किया गया है, किन्तु शासनादेश दिनांक 6-5-88 द्वारा स्टेनों के 5 पदों का सृजन नहीं हुआ है । अपितु स्टेनों के 13 पदों की वर्ष 1988-89 की निरन्तरता निर्गत की गई है ।

निरन्तरता संबंधी शासनादेशों में साधारण त्रुटि हो गई है, जिसे परीक्षणोपरान्त दूर कर दिया जायेगा । इसके संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारण की कार्यवाही की जायेगी ।

कृषि विभाग में कार्यरत आशुलिपिकों को समयबद्ध प्रोन्नति वेतनमान देने की मांग

10–श्री लल्लू सिंह–

क्या कृषि मंत्री मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समता समिति की संस्तुतियों के अनुरूप एवं शा0 सं0 अ–519/90-27-सि0-8-48 अ/89, दिनांक 22-2-90 एवं शा0 सं0 कृषि–1/6287(1) 12-1-93/2220/93/दिनांक 28-12-93 में क्रमशः अवर अभियन्ता एवं अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को पांस्ट टू पोस्ट क्रमश. 5 वर्ष एवं 16 वर्ष की सेवा पर प्रोन्नति वेतनमान दिए जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की भांति कृषि विभाग के आशुलिपकों को भी क्रमशः 5 वर्ष एवं 16 वर्ष की सेवा पर अगला प्रोन्नति वेतनमान दिए जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो आशुलिपिकों को समयबद्ध प्रोन्नति वेतनमान कब तक दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश को कृषि विभाग के अन्तर्गत कार्यरत आशुलिपिकों की ज्येष्ठता सूची प्रकाशित करने की मांग

11–श्री लल्लू सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शा0 सं0–ये0 आ0–1-1311/दस-101/एम/89, दिनांक 16-7-93 में कृषि विभाग के आशुलिपिकों की प्रदेश स्तरीय ज्येष्ठता सूची प्रकाशित करने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या ज्येष्ठता सूची प्रकाशित कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो ज्येष्ठता सूची कब तक प्रकाशित की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । आशुलिपिकों की प्रदेश स्तरीय ज्येष्ठता सूची प्रकाशित करने का प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हिलौली के अन्तर्गत अम्बेडकर ग्राम भाटन खेड़ा निर्मित इन्दिरा आवासों में हुई अनियमितता की जांच

12–श्री हृदय नारायण–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हिलौली के अन्तर्गत अम्बेडकर ग्राम भाटनखेड़ा में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन आवासों में अनियमितता बरते जाने विषयक शिकायती प्रार्थना-पत्र श्री गंगा प्रसाद भइया, जिला महामंत्री, अनुसूचित जाति-जनजाति प्रकोष्ठ, सपा द्वारा दिनांक 10-10-93 जिलाधिकारी, उन्नाव व 27-10-93 को आयुक्त ग्राम्य विकास उ0 प्र0

तथा 30-12-93 को आपको प्राप्त हुआ है ? क्या इसी सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता का पत्र माह जनवरी, 94 में ग्राम्य विकास मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त शिकायती पत्रों की जांच कितने की ? जांच निष्कर्ष क्या थे ? क्या दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्री राम यादव–

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हिलौली के अन्तर्गत अम्बेडकर ग्राम भाटनखेड़ा में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन आवासों में अनियमितता बरते जाने के विषय में श्री गंगा प्रसाद भइया, जिला महामंत्री, अनुसूचित जाति/जनजाति प्रकोष्ठ उन्नाव से प्राप्त शिकायती पत्र दि0 10-10-93, 22-10-93 व 28-12-93 तथा प्रश्न-कर्ता के शिकायती पत्र दि0 28 जनवरी, 1994 पर प्राविधिक सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास विभाग से जांच कराई जा रही है । टी0 ए0 सी0 जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ?

जनपद मऊ में विकास खण्ड–फतेहपुर मण्डाव के ग्राम सभा कटघरा शंकर के ग्राम प्रधान द्वारा धन के दुरुपयोग की जांच

13–श्री मुकित नाथ यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद मऊ अन्तर्गत विकास खण्ड फतेहपुर मण्डाव के ग्राम सभा कटघरा शंकर के ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम सभा के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है ? क्या सरकार वर्ष 1988 से वर्ष 1993 तक जवाहर रोजगार योजना व अन्य मदों से मिले पैसे का कहां-कहां पर उपयोग किस-किस मद में किया गया है, की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराते हुए दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्री राम यादव–

जी नहीं ।

वर्ष 1987-88 एवं 88-89 में प्रश्नगत ग्रामसभा को कोई अनुदान नहीं दिया गया तथा वर्ष 92-93 में प्रधान के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने के कारण इस अवधि में अवमुक्त धनराशि से सम्बन्धित कार्य खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से कराये गये । वर्ष 89-90 से 91-92 की अवधि में अवमुक्त धनराशि से संबंधित कार्यों की जांच सहायक विकास अधिकारी (पं0) द्वारा कराई गयी जिसमें कार्य संतोषजनक पाया गया एवं कोई दोषी नहीं पाया गया । अतः दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी के ग्राम सभा दाग महुला के प्रधान द्वारा प्रेषित अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

14–श्री ज्याता प्रसाद यादव–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा दाग महुला, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ के प्रधान द्वारा माह जनवरी, 1994 में बाढ़ खण्ड, आजमगढ़ के अधिशासी अभियन्ता के खिलाफ मुख्य अभियन्ता ड्रेनेज, गोरखपुर व अधीक्षण अभियन्ता, गण्डक

इन्हेंस गण्डत, गोरखपुर के नाम भ्रष्टाचार के संबंध में कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस शिकायती पत्र में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक कार्यवाही कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । इनके नाम से दिनांक 21-1-94 का एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था ।

शिकायती पत्र पर जांच कराई गयी जिसमें शिकायत प्रमाणित नहीं पायी गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के चयन के सम्बन्ध परिणाम पर कार्यवाही

15–श्री राम कुमार वर्मा–

क्या स्वास्थ मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या वर्ष 1985-86 से ही उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद में लम्बित "होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की चयन सूची" तत्काल प्राप्त करके नियुक्ति संबंधी अग्रेतर कार्यवाही कार्य एवं जनहित में सुनिश्चित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद में लम्बित उक्त चयन का परिणाम आयोग द्वारा दिनांक 25-2-94 को घोषित कर दिया गया है और चयन सूची दिनांक 7 मार्च, 1994 को शासन में प्राप्त हो चुकी है, जिस पर नियमों के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

16–श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

17–श्री राम आसरे वर्मा–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पथरा बाजार जनपद–सिद्धार्थनगर के चिकित्साधिकारी का चिलमा बाजार जनपद बस्ती में स्थानान्तरण

18–श्री जयप्रताप सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी तहसील के अन्तर्गत ग्राम पथरा में कोई आयुर्वेदिक चिकित्सालय है ? यदि हां, तो क्या उक्त चिकित्सालय पर कोई डाक्टर नियुक्त है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर पर तैनात चिकित्साधिकारी डा0 विजय कुमार श्रीवास्तव को शासनादेश दिनांक 21 अगस्त, 1993 द्वारा जनहित में पद सहित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय चिलमा बाजार जनपद बस्ती स्थानान्तरित किया गया है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल स्थित राजकीय उद्यान भरसार के सुदृढ़ीकरण हेतु विचाराधीन योजना

19–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में भरसार का बगीचा एशिया के सबसे बड़ा बगीचा होने के बावजूद भी उपेक्षित है ? सरकार ने इसके समुचित विकास हेतु क्या-क्या योजनाएं अभी तक बनाई और आगामी क्या योजना बनाई जा रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

राजकीय उद्यान भरसार उपेक्षित नहीं है । उद्यान के विकास हेतु पुराने, रोगग्रस्त अफलत एवं अव्यवसायिक फलदार वृक्षों को हटाकर नवीनतम प्रजाति के फलदार पौधों का रोपण किया जा रहा है । उन्नतशील सब्जी, बीच तथा शीतकालीन फलों की पौध का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है । राजकीय उद्यान भरसार का सुदृढ़ीकरण करने हेतु योजना विचाराधीन है ।

पर्वतीय क्षेत्र के विकास हेतु हिमांचल प्रदेश की औद्योगिक नीति लागू करने की मांग

20–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या उत्तरांचल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र के विकास हेतु हिमालय प्रदेश की औद्योगिक नीति को उत्तरांचल के विकास हेतु लागू किया गया है ? यदि हां, तो उसके क्या सार्थक परिणाम निकले ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के भरसार उद्यान में राष्ट्रीय शीतोष्ण अनुसंधान केन्द्र खोलने की मांग

21–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी के विशाल भरसार बगीचे को राष्ट्रीय शीतोष्ण अनुसंधान केन्द्र में बदलने हेतु क्या प्रयास किये गये हैं ? अभी तक इस दिशा में क्या कोई सार्थक प्रगति हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक इसे शीतोष्ण अनुसंधान केन्द्र में बदला जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 1978-79 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के तकनीकी विशेषज्ञों के एक दल द्वारा उपयुक्तता के आधार पर राजकीय उद्यान भरसार में केन्द्रीय शीतोष्ण फल अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की संस्तुति दी गयी थी । उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इस संस्तुति के परिपेक्ष्य में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली को उक्त संस्थान की स्थापना हेतु राजकीय उद्यान भरसार में भूमि उपलब्ध कराने की सहमति दी गयी थी ।

भारत सरकार द्वारा उक्त संस्थान राजकीय उद्यान भरसार पौड़ी के बजाय श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) में खोलने का निर्णय लिया गया । इसका एक क्षेत्रीय केन्द्र मुक्तेश्वर जनपद नैनीताल में खोला गया है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के भरसार उद्यान के रख-रखाव पर अनुमानित व्यय

22–श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गढ़वाल के भरसार बगीचे से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बगीचे के रख रखाव में प्रतिवर्ष कुल कितनी धनराशि व्यय की जाती है तथा प्रतिवर्ष इससे कितनी आय होती है ? क्या इससे होने वाली आय एवं किया जाने वाला व्यय निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो इस दिशा में क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद गढ़वाल के भरसार बगीचे की गत तीन वर्षों में व्यय तथा आय निम्न प्रकार है :–

वर्ष	स्थापना व्ययय (लाख रु0)	प्रासंगिक व्यय (लाख रु0 में)	आय (लाख रु0 में)
1990-91	7.67	1.74	2.02
1991-92	8.44	2.84	0.75
1992-93	10.21	2.27	2.27

जी नहीं ।

भरसार बगीचा बहुत पुराना होने के कारण इसके फलदार वृक्ष पुराने एवं अनउत्पादक हो गए हैं । इन पुराने व अनउत्पादक वृक्षों को हटाकर नवीनतम प्रजाति के फलदार पौधों का रोपण किया जा रहा है । उन्नतिशील प्रजातियों के बीज उत्पादन एवं फल पौधों के उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है ।

23–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

[दि0 16-3-94 को अता0 प्र0 सं0–85 द्वारा उत्तरित]

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अन्तर्गत श्री शैलेष अग्रवाल की नियमानुसार पदोन्नति की कृत कार्यवाही

24–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में शैलेष अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य केस से संबंधित, सहायक अभियंताओं की पदोन्नति उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय से आदेश होने के बाद भी नहीं की गयी ? इन आदेशों का पालन कब तक हो जायेगा ?

श्री श्री राम यादव–

जी हां ।

विशेष अनुज्ञा याचिका के अन्तर्गत सिविल अपील संख्या–1805-1807/93 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 1994 को पारित आदेशों से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए श्री शैलेष अग्रवाल आदि की पदोन्नति के संबंध में न्याय विभाग से परामर्श मांगा गया है । न्याय विभाग का परामर्श प्राप्त हो जाने पर नियमानुसार पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद शाहजहांपुर स्थित दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लि0 के प्रबंधक श्री एस0 आर0 मलिक के विरुद्ध शिकायत की जांच

25–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने एक शिकायती-पत्र दिनांक 22-1-94 को श्री एस0 के0 मलिक, प्रबन्धक, दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लि0 शाहजहांपुर के विरुद्ध मा0 मुख्य मंत्री को दिया था ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि मा0 मुख्य मंत्री ने दि0 22-1-94 या इसके आस-पास प्रमुख सचिव दुग्ध संघ को आदेश दिए थे कि तत्काल जांच कराकर आवश्यक हो तो स्थानान्तरण किया जाए ? यदि हां, तो कब तक उल्लेखित प्रबंधक के विरुद्ध जांच कराकर स्थानान्तरण किया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, श्री एस0 आर0 मलिक, (एस0 के0 मलिक नहीं) के संबंध में प्रश्नकर्ता का दिनांक रहित पत्र प्राप्त होने पर श्री मलिक के विरुद्ध शिकायतों की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं तथा उन्हें प्रबंधक दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, शाहजहांपुर के कार्यभार से अभिमुक्त भी किया जा चुका है ।

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला में स्टेडियम के निर्माण की मांग

26–श्री बरकिया लाल जुवांठा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला उत्तरकाशी के पुरोला में एक बस स्टैण्ड निर्माण एवं एक स्टेडियम की स्वीकृति वित्त सहित दी गयी थी ? यदि हां, तो इतने लम्बे समय से उक्त स्टेडियम अभी तक क्यों नहीं बनाए गए ? क्या सरकार इनके निर्माण के आदेश अविलम्ब करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उक्त स्टेडियम के निर्माणार्थ भूमि क्रय हेतु रुपया 7.17 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई थी किन्तु भूमि के मूल्य में वृद्धि होने के कारण उक्त धनराशि कम पड़ गई, जिससे भूमि क्रय नहीं की जा सकी । भूमि क्रय हेतु अतिरिक्त धनराशि शासनादेश संख्या 6499/28-2-93-13(20)/90 दिनांक 17 मार्च, 1994 द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है । भूमि क्रय की कार्यवाही की जा रही है, इसके उपरान्त ही स्टेडियम निर्माण का कार्य सम्भव हो सकेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उत्तरकाशी में स्वीकृत मार्गों का निर्माण

27–श्री बरफिया लाल जुवांठा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तरकाशी जिले में जो मार्ग वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 में स्वीकृत हुए थे, क्या उनका निर्माण कार्य पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं तथा विलम्ब के लिए कौन दोषी है ? क्या सरकार विलम्ब के कारणों की शीघ्र जांच करवाकर उक्त कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद उत्तरकाशी में 1989-90 में 13 मार्ग स्वीकृत किए गए थे । इनमें से 1 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 6 पर कार्य प्रगति में है । शेष 6 मार्गों की वनभूमि हस्तान्तरण न होने एवं अन्य कारणों से निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है ।

इसी प्रकार वर्ष 1990-91 में कुल 35 मार्ग स्वीकृत हुए थे । उक्त में से 2 हल्का वाहन मार्ग का कार्य पूर्ण है तथा 11 मार्गों पर कार्य प्रगति में है । शेष 18 मार्गों की वनभूमि हस्तान्तरित न होने तथा 4 मार्गों के कार्य अन्य कारणों से प्रारम्भ नहीं हुए हैं । विलम्ब के निम्नलिखित कारण हैं :–

1–वनभूमि का हस्तान्तरण न हो पाना ।

2–सीमित वित्तीय संसाधन ।

3–अन्य स्थानीय कारण ।

उपरोक्त के कारण विलम्ब के लिए अन्य कोई दोषी नहीं है ।

विलम्ब में बाधक कारणों का निराकरण कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गढ़वाल की जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में उपजदायी प्रजाति के बीजों पर देय अनुदान

28–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गढ़वाल की जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अधिक उपजदायी प्रजाति के बीजों पर राजकीय सहायता प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो कहां और किन-किन क्षेत्रों में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड जोशीमठ जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विकास खण्ड नौगांव, पुरौला तथा मोरी जनपद देहरादून के अन्तर्गत विकास खंड चकराता एवं कालसी एवं जनपद टिहरी के अन्तर्गत विकास खण्ड थत्यूड़ में कृषकों को इस योजना के अन्तर्गत अधिक उपजदायी प्रजाति के बीजों पर पचास प्रतिशत अनुदान की राज सहायता दी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद चमोली/पौड़ी गढ़वाल में आगामी वित्तीय वर्ष में बुखारियां वितरित करने का निर्धारित लक्ष्य

29–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चमोली पौड़ी गढ़वाल में गत वर्ष कहां, कितने कृषकों को टीन की बुखारियां प्रदान की गयी है ? भविष्य में कितने और कृषकों को देने की योजना है ? अब तक इसके कितने सार्थक परिणाम सामने आये हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

गत वर्ष जनपद चमोली में 60 कृषकों को तथा जनपद पौड़ी में 760 कृषकों को तथा टीन की बुलटियां/बुखारियां वितरित की गयीं ।

आगामी वित्तीय वर्ष में जनपद चमोली के अन्तर्गत 300 कृषकों को तथा जनपद पौड़ी में 988 कृषकों को बुखारियों के वितरण का लक्ष्य निर्धारित है ।

अब तक के प्राप्त समस्त परिणाम सार्थक सिद्ध हुए हैं ।

जनपद चमोली/पौड़ी गढ़वाल में औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक ऋण प्रदान करने की मांग

30–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि औद्योगिक विकास के प्रोत्साहन हेतु पौड़ी तथा चमोली कर्णप्रयाग, विधान सभा क्षेत्र में गत वर्ष कहां-कहां दीर्घकालीन औद्योगिक ऋण तथा राजकीय सहायता प्रदान की गई ? आगामी वर्षों में कितना ऋण देने की योजना बनाई गई है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम में 1989, 90, 91 में की गयी नियुक्तियों की समाप्ति

31–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम तथा कर्मचारी संघ और अधिशासी निदेशक के मध्य हुए समझौते के अनुसार वर्ष 1989, 1990, 1991 में हुई अनियमित नियुक्तियां, प्रोन्नतियां निरस्त की जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

इन दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें अन्य बातों के अलावा निगम में वर्ष 1989, 1990 तथा 1991 में हुई अनियमित नियुक्तियों/पदोन्नतियों को निरस्त किए जाने की बात भी तय हुई थी । लेकिन इस लिखित समझौते में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं हुई थी । अब तक 12 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं ।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड–हरिश्चंदगंज के ग्राम रेवना के निवासी श्री राम औतार मौर्य पुत्र श्री राम भरोसे के नाम से निःशुल्क बोरिंग में आरोपित टेक्नीशियन एवं श्री धर्मराज पुत्र श्री राम औतार से वसूली के आदेश

32–श्री मित्रसेन यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम औतार मौर्य पुत्र श्री राम भरोसे निवासी रेवना, विकास खण्ड–हरिश्चंदगंज जनपद फैजाबाद के नाम की खतौनी व अन्य व्यक्ति का फोटो लगाकर श्री हरि प्रसाद पुत्र श्री द्वारिका मौर्य निवासी रेवना ने निःशुल्क बोरिंग विकास खण्ड कर्मचारियों से करवाकर भूमि विकास बैंक, बीकापुर के प्रबन्धक की मिलीभगत से इंजन क्रय हेतु ऋण ले लिया है ? यदि हां, तो उक्त संदर्भ में कोई प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी फैजाबाद को दिनांक 10-2-93 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त प्रकरण के संबंध में अब तक दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्री राम यादव–

श्री धर्मराज पुत्र श्री राम अजोर निवासी रेवना में अपना फोटो तथा श्री राम औतार पुत्र श्री भरोसे निवासी रेवना के नाम का खतौनी लगाकर श्री राम औतार पुत्र श्री भरोसे निवासी रेवना के नाम से निःशुल्क बोरिंग पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड फैजाबाद के माध्यम से अपने पिता श्री राम अजोर के मद में कराया । श्री धर्मराज द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक की शाखा बीकापुर से फर्जी रूप में श्री राम औतार के नाम से इंजन क्रय हेतु ऋण लिया है । इस कार्य में हरि प्रसाद पुत्र श्री राम चन्दर निवासी रेवना द्वारा बैंक के बंधक पत्र पर गवाही करके सहयोग दिया है ।

जी हां ।

श्री धर्मराज पुत्र श्री राम अजोर निवासी रेवना तथा श्री हरिप्रसाद पुत्र श्री सुन्दर निवासी रेवना के विरुद्ध शासकीय योजनाओं में धोखाधड़ी करने के लिये पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है ।

श्री राम करन सिंह बोरिंग टेक्नीशियन विकास खण्ड हरिश्चंदगंज को अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही आदि करने के लिए आरोपित किया गया है । निःशुल्क बोरिंग पर हुए व्यय की वसूली श्री धर्मराज पुत्र श्री राम औतार से करने के आदेश निर्गत किये गये

व्यय की वसूली श्री धर्मराज पुत्र श्री राम औतार से करने के आदेश निर्गत किये गये है ।

33–श्री मंजूर अहमद–

[5वें सोम में अता0 प्र0 सं0–160 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सिद्धार्थनगर स्थित इन्नेज डिवीजन के उपखण्ड बांसी के अन्तर्गत ग्राम–नरकटहा को बाढ़ से बचाने हेतु अनुमानित व्यय

34–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सिद्धार्थनगर के इन्नेज डिवीजन के उप-खण्ड बांसी के अन्तर्गत राप्ती नदी के बायें तट पर ग्राम नरकटहा टोला बेलबनवा के पास बने हुए बांध पर वर्ष 1993 के बाढ़ में खतरा उत्पन्न हो जाने पर उसके बचाव कार्य में भिन्न-भिन्न मदों पर कुल कितना धन व्यय किया गया है ? क्या यह भी सच है कि खतरा वाले बिन्दु पर बांध के अन्दर पाइप डाला गया है ? यदि हां, तो पाइप कब डाला गया ? क्या बांध में पाइप डालना तकनीकी दृष्टि से गलत है ? यदि हां, तो उक्त पाइप डालने वाले अधिकारी कौन थे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

राप्ती नदी के बायें तट पर ग्राम नरकटहा टोला बेलबनवा के पास बने हुए बांध पर वर्ष 1993 के बाढ़ में खतरा उत्पन्न हो जाने पर उसके बचाव कार्य में भिन्न-भिन्न मदों पर कुल रु0 74,552.00 व्यय किया गया है ।

जी हां ।

पाइप वर्ष 84-85 में डाला गया ।

यह अस्थाई व्यवस्था है तथा बांध पूर्ण होने से पूर्व पाइप हटा लिया जायेगा । यह पाइप तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा डलवाया गया, जिनकी अब सेवा समाप्त हो चुकी है ।

जनपद सिद्धार्थनगर के इन्नेज उप-खण्ड बांसी में राप्ती नदी के बाएं तट एन0 टी0 पी0 (नरकटहा सुरक्षा बांध) के निर्माण पर अनुमानित व्यय

35–श्री जगप्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि इन्नेज उप-खण्ड बांसी, जिला–सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी के बायें तट पर बने हुये एन0 टी0 पी0 (नरकटहा सुरक्षा बांध) पर वर्ष 1993 के मार्च से लेकर 1993 के दिसम्बर माह तक भिन्न-भिन्न मदों पर कुल कितना धन व्यय किया गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 1993 के मार्च से लेकर 1993 के दिसम्बर माह तक विभिन्न मदों पर कुल रु0 7,18,326.00 व्यय किया गया है ।

जनपद सिद्धार्थनगर के कठेला अस्पताल में कार्यरत स्व0 श्री राज किशोर त्रिपाठी की धर्मपत्नी को पारिवारिक पेंशन भुगतान करने के मामले के निस्तारण हेतु सूचनाओं का मांगा जाना

30–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या स्वर्गीय श्री राज किशोर त्रिपाठी, फार्मासिस्ट, कठेला अस्पताल, जिला सिद्धार्थनगर की मृत्यु सेवाकाल में वर्ष 1965 में हो गयी थी ? यदि हां, तो उनकी पेंशन उनकी धर्मपत्नी को अभी तक न मिल पाने का कारण क्या है ? क्या इस संबंध में जिला सिद्धार्थनगर के मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय से पत्र सं0–सि0नं0 पेंशन 9293/11794–97, दिनांक 26-9-92 उप सचिव, चिकित्सा अनुभाग–8 के यहां भेजा गया था । यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

स्व0 श्री राज किशोर त्रिपाठी द्वारा नयी पारिवारिक पेंशन योजना का विकल्प न भरने तथा इस संबंध में अधिकांश आवश्यक औपचारिकताएं पूरी न करने के कारण उनकी धर्मपत्नी को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किया जाना अभी सम्भव नहीं हो सका है ।

जी हां ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिद्धार्थनगर के उक्त पत्र के संबंध में प्रश्नगत मामले के निस्तारण हेतु कतिपय सूचनायें मांगी गयी हैं ।

जनपद सिद्धार्थनगर के ड्रेनेज डिवीजन के अन्तर्गत उपखण्ड बांसी के गोदाम में जमी सीमेन्ट के संबंध में कार्यवाही की मांग

37–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सिद्धार्थनगर ड्रेनेज डिवीजन के अन्तर्गत उपखण्ड, बांसी में ड्रेनेज विभाग के गोदाम में कुछ दिन पूर्व लगभग ग्यारह सौ बोरी सीमेन्ट जम गई थी ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि गोदाम के इन्चार्ज जू0 इंजीनियर के द्वारा समय पर गोदाम का चार्ज न देने पर गोदाम काफी दिनों तक बन्द होने के कारण सीमेन्ट जम गई ? यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक खासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में कृषि रक्षा सेवा के सुदृढ़ीकरण की योजना

38–श्री रमेश पांडेरियाल 'निशंक'–

क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कृषि रक्षा के सुदृढ़ीकरण तथा कीट-नियंत्रण की कोई योजना शासन द्वारा बनाई गई है ? यदि हां, तो गत वर्ष इसकी उपलब्धि क्या रही ? दिलीय क्षेत्रों को इन योजनाओं से क्या लाभ मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?..

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में कृषि रक्षा के सुदृढ़ीकरण की योजना (जिला बांजना) के अंतर्गत वर्ष 1992-93 में विभिन्न जनपदों के किसानों के उपयोगार्थ 1696 कृषि रक्षा उपकरण उपलब्ध कराये गये, कृषि रक्षा यंत्रों की मरम्मत पर रुपये 2.05 लाख खर्च किया गया, रसायनों के गुणनियंत्रण पर 1676 नमूने लेकर विश्लेषण कराया गया जिस पर रुपये 2.50 लाख व्यय हुआ तथा 8 स्थानों पर किसानों को कृषि रक्षा रसायन उपलब्ध कराने के लिए भण्डार बनवाये गये । मैदानी क्षेत्रों में ही कृषि रक्षा सेवा के सुदृढ़ीकरण कार्यों में 10 मण्डलों में मण्डलीय अधिकारियों तथा इकाईयों पर रुपये 37,98,448.00 व्यय हुआ ।

इनके पर्यवेक्षण में 271.29 लाख हे0 क्षेत्रफल पर फसलों पर कीट/बीमारियों की रोकथाम के लिए रसायन वितरित कराये गये तथा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत संवर्धित रुपया 250.165 लाख के अनुदान का लाभ कृषि रक्षा रसायनों के ऊपर दिलाया गया जिससे 4,32,162 हेक्टेयर भूमि पर कार्य हुआ ।

जी हां ।

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष 92–93 में किसानों को अनुदानित रसायन जो वितरित किया गया उससे कीट रोगों से फसलों की सुरक्षा के फलस्वरूप फसलों के उत्पादन में किसानों को लाभ मिला ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि निवेशों के वितरण का प्रस्ताव

39–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में दूरस्थ स्थानों तक कृषि निवेश वितरण गत वर्षों में कितना किया गया है ? कौन-कौन से क्षेत्र लाभान्वित हुए हैं ? भविष्य में शासन द्वारा इसकी प्रस्तावित योजना क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पर्वतीय क्षेत्रों में दूरस्थ स्थानों तक वर्षवार वितरण निम्नवत् है :–

क्रमांक	कृषि निवेश	वर्ष 1991–92 मात्रा	वर्ष 1992–93
1	उन्नतशील बीज	12556.76 क्विन्टल	12436.80 क्विन्टल
2	उर्वरक (नत्रजन, फास्फोरस एवं पोटाश तत्वों के रूप में)	4022.101 मै0 टन	3610.14 मै0 टन
3	कृषि रक्षा रसायन	212839 कि.ग्रा./ली	190139 कि.ग्रा./ली
4	कृषि यंत्र	3311	1620

पर्वतीय क्षेत्र के सभी विकास खण्डों के कृषक लाभान्वित हुए हैं । गत वर्षों की भांति चालू वर्ष में भी दूरस्थ स्थानों तक कृषि निवेशों का वितरण किया जा रहा है । आगामी वर्षों में भी कृषि निवेशों का वितरण यथावत किया जाता रहेगा । पर्वतीय क्षेत्र के कृषकों की छोटी-छोटी जोतों एवं ढुलान की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उर्वरकों एवं बीजों का वितरण छोटे-छोटे पैकेटों में किया जाना प्रस्तावित है ।

पर्वतीय क्षेत्रों में उन्नतशील यन्त्रों का वितरण

40–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में कहां-कहां और कितने उन्नतशील यंत्रों का वितरण किया गया है ? क्या इन यंत्रों के प्रदर्शन व इन्हें लोकप्रिय बनाने हेतु कुछ कार्यक्रम आयोजित किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पर्वतीय क्षेत्रों के जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, देहरादून तथा उत्तरकाशी में वर्ष 1993-94 में (जनवरी, 94 तक) क्रमशः 399, 59, 450, 132, 236, 127, 217 उन्नतशील यंत्रों का वितरण किया गया है ।

जी हां, वर्ष 93-94 में (जनवरी 94 तक) कृषि यंत्रों को लोक प्रिय बनाने हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न कृषि यंत्रों के 463 प्रदर्शन आयोजित किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड–नवाबगंज के ग्राम–रानीपुर में स्वीकृत बोरिंग का पूर्ण किया जाना

41–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद के नवाबगंज ब्लाक में ग्राम रानीपुर में दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी, नवाबगंज द्वारा पांच कृषकों को स्वीकृत होकर मात्र दो की बोरिंग हुई शेष तीन अभी लम्बित हैं ? यदि हां, तो इस विलम्ब के दोषी अधिकारी के प्रति क्या कार्यवाही होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

खण्ड विकास अधिकारी, नवाबगंज द्वारा ग्राम रानीपुर में दस लाख कूप योजना अन्तर्गत पांच कृषकों की बोरिंग स्वीकृत की गई थी जिसमें से दो की बोरिंग पूर्व में ही पूर्ण हो गयी थी और शेष तीन बोरिंग कृषकों की व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण लम्बित थीं जिन्हें पूर्ण कराया जा चुका है ।

विलम्ब के लिए कोई दोषी नहीं पाया गया । अतएव कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

42–श्री सुन्दर लाल लोधी–

[5वें गुरु में अता0 प्र0 सं0–4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद से आयुर्वेद रत्न, वैद्य, विशारद के पंजीयन संबंधी प्रकरण

43–श्री अजय कुमार पोद्दार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद से आयुर्वेद रत्न, वैद्य विशारद परीक्षा सन् 1964 से पंजीयन बन्द हो गए हैं ? यदि हां, तो उक्त पंजीयन कब प्रारम्भ हो रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद आयुर्वेद रत्न, वैद्य, विशारद पाठ्यक्रम चलाए जाने हेतु अधिकृत नहीं है । भारतीय चिकित्सा परिषद्, उ0 प्र0 द्वारा उक्त पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गयी है । उ0 प्र0 भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन एवं प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1982 के अनुसार किसी भी निजी संस्था द्वारा आयुर्वेदिक/यूनानी, डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित एवं दण्डनीय है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

44–श्री अजय कुमार पोद्दार–

[5वें शुक्र में अता0 प्र0 सं0–66 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोरखपुर मण्डल में गण्डक नहर निर्माण के अन्तर्गत नारायणी एवं मधुबनी शाखा के निर्माण के बकाया धनराशि का भुगतान

45–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि गण्डक नहर निर्माण मण्डल, गोरखपुर के नारायणी शाखा एवं मधुबनी निर्माण शाखा के निर्माण एवं मरम्मत कार्य जो ठेकेदारों द्वारा 31 दिसम्बर, 92 तक कराया गया था, की सम्पूर्ण बकाया धनराशि के भुगतान हेतु सिंचाई विभाग को धन आवंटित किया गया था ? क्या यह सही है कि आवंटित धनराशि को ठेकेदारों के बकाये के भुगतान (देनदारी) का भुगतान न करके सहायक अभियन्ता द्वारा माप पुस्तिका में क्रास करके भुगतान करना दर्शाते हुए दिनांक 31-3-92 में शासन द्वारा मांगी गई आख्या में बकाया (देनदारी) शून्य होने की सूचना भेजी गई है ? क्या यह सत्य है कि आज भी दर्जनों ठेकेदारों का बकाया भुगतान लगभग लाखों रुपए अवशेष हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त सहायक अभियन्ता द्वारा बिना भुगतान किए ही लाखों का फर्जी भुगतान कर दिया गया है ? क्या सरकार उक्त घोटाले में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के साथ ही साथ घोटाले की धनराशि की वापसी करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

गण्डक नहर निर्माण मण्डल गोरखपुर के नारायणी शाखा एवं मधुबनी शाखा के निर्माण एवं मरम्मत कार्य की बकाया धनराशि के भुगतान हेतु अलग से कोई धन आवंटित नहीं किया गया था । 31-12-92 तक कराए गए कार्यों का भुगतान वर्ष 92-93 व 93-94 के सामान्य प्राक्कलन के विरुद्ध आवंटित धन से किया गया ।

सहायक अभियन्ता द्वारा माप पुस्तिका में क्रास करके भुगतान दर्शाने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है । वर्ष 92-93 से पूर्व के बकाए (देनदारी) की सूचना (वर्ष 89-90 के विवादित भुगतानों को छोड़कर) शून्य दी गयी है ।

केवल मधुबनी शाखा से संबंधित वर्ष 89–90 के 10 ठेकेदारों का भुगतान विवादित होने के कारण अवशेष है ।

उक्त सहायक अभियन्ता द्वारा फर्जी भुगतान का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

46–श्री सुधीर कुमार बालियान, डा0 सरजीत सिंह डंग तथा श्री शिव प्रताप शुक्ल–

[5वें सोम0 में अता0 प्र0 सं0–95 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

47-48–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत पोस्ट बमस्यूं के ग्राम दूनाकोट के कृषकों को देय सहायता

49–श्री बची सिंह रावत–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ग्राम दूनाकोट सेरा, पत्रालय बमस्यूं निवासी श्री प्रताप सिंह महरा द्वारा दिनांक 24-1-92 को भूमि संरक्षण अधिकारी तथा जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को कुजगढ़ नदी में बनाये गए अवरोधकों को हटाने के बाबत कानूनी नोटिस दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त नोटिस का अनुपालन नहीं किया गया और दिनांक 11-12 सितम्बर, 1993 की अति-वृष्टि व बाढ़ में इस ग्राम की व समीपवर्ती उपजाऊ भूमि कटाव के कारण नष्ट हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा प्रभावित कृषकों को कोई राहत दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जी हां ।

प्रश्नगत ग्राम सभा को मु0 2400 रु0 की सहायता तत्काल राजस्व विभाग द्वारा कृषकों को दी गयी है, इसके अतिरिक्त कृषकों को राहत देने हेतु भूमि संरक्षण (कृषि) द्वारा 9.98 लाख की प्रोजेक्ट भूमि सुधार हेतु तैयार की गयी है, जिसमें से मु0 0.38 लाख रु0 सूखोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 तक कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा । शेष कार्य वर्ष 1994-95 में कराया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

50–श्री बची सिंह रावत–

[5वें सोम में अता0 प्र0 सं0–157 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ स्थित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में सृजित पदों का निरस्त किया जाना

51–श्री सतीश भाटिया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के दूरभाष हेतु टेलीफोन आपरेटर/टेलीफोन लाइनमैन के पदों पर वि0 संख्या 19/92 के द्वारा चयन हो चुका है ? यदि हां, तो चयनित अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्री बलराम यादव–

प्रश्नगत चयन प्रक्रिया संस्थान द्वारा निरस्त कर दी गयी थी । संस्थान की शासी निकाय जो कि पद सृजन के लिए अधिकृत है, द्वारा इन पदों के सृजन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया । इसलिए प्रश्नगत पदों पर नियुक्ति संभव नहीं हुई ।

जनपद लखनऊ स्थित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के दूरभाष संबंधी कार्यों को संविदा पर चलाने का निर्णय

52–श्री सतीश भाटिया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के दूरभाष विभाग को चलाने के लिए सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता नियुक्त है ? यदि हां, तो अब दूरभाष विभाग को ठेके पर दिए जाने का कारण क्या है ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

सहायक तथा अवर अभियन्ता संस्थान के दूरभाष विभाग के कार्यों के नियंत्रण के लिए नियुक्त है । दूरभाष ब पी0 ए0 बी0 एक्स0 को 24 घण्टे संचालित करने, दूरभाष लाइन तथा उपकरणों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए अन्य कार्मिकों की आवश्यकता है । इन कार्यों के लिए संस्थान में अभी पद सृजित नहीं हैं अतः संस्थान की शासी निकाय ने इन कार्यों को संविदा पर चलाने का निर्णय लिया है ।

जनपद चमोली के दानपुर पट्टी के सिमतोली ग्राम में प्राथमिक विद्यालय खोलने की मांग

53–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या उत्तराखंड विकास मंत्री को ज्ञात है कि चमोली जनपद के दानपुर पट्टी के सिमतोली गांव के अबोध छोटे-छोटे बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पाने हेतु दो कि0मी0 जंगल के रास्ते को तय करना पड़ता है ? यदि हां, तो कब तक वहां पर विद्यालय खोला जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

जनपद चमोली के दानपुर पट्टी के सिमतोली गांव के बच्चे नजदीक स्थित प्राथमिक विद्यालय विजयगढ़ में शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मानकों के अनुसार सिमतोली में विद्यालय नहीं खोला जा सकता ।

जनपद चमोली के रानीगढ़ पट्टी के जसोली ग्राम में पेयजल व्यवस्था की मांग

54–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली के रानीगढ़ पट्टी के जसोली ग्राम को तत्काल पेयजल योजना देने की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

लागू नहीं ।

फिलहाल योजना के लिए सर्वे अनुसंधान का कार्य किया जा रहा है ।

जनपद चमोली में गोचर डिवीजन के अन्तर्गत कोट धोलतीर लिंक मार्ग बनाने की मांग

55–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनता की समस्याओं को देखते हुए, जनपद चमोली में गोचर डिवीजन के अन्तर्गत कोट-धोलतीर लिंक मार्ग कब तक बनाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत मार्ग स्वीकृत नहीं है । अतः बनाए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता ।

56–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

[5वें सोम में अता0 प्र0 सं0 156 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

स्वास्थ्य निदेशालय में मृत अधिकारी/कर्मचारी के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन के भुगतान की मांग

57–श्री शिव प्रताप शुक्ल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार वालों को जी0 पी0 एफ0, ग्रेच्युटी एवं पारिवारिक पेंशन का भुगतान सामान्य स्थिति में शीघ्र देना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या निदेशक, स्वास्थ्य (परिवार कल्याण), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ में कार्यरत अधिकारियों के संबंध में उपरोक्त नियम लागू हो रहा है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 92 में इस तरह के कुल कितने मामले उपरोक्त निदेशालय के, किस-किस व्यक्ति के अनिस्तारित पड़े हैं ? कब तक उनको निस्तारित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

58–श्री उदल–

[6ठें गुरु0 में अता0 प्र0 सं0–105 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र के सेवानिवृत्त उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी श्री बृहम देव सिंह के पेंशन भुगतान के आदेश

59—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी, राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र के पद से 31-7-92 को सेवानिवृत्त श्री बृहम देव सिंह के विरुद्ध जौनपुर कृषि अधिकारी के रूप में कार्यावधि की जांच के कारण पेंशन रोक दी गई थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इन्हें दोषमुक्त करते हुए जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त करा दी गई है ? यदि हां, तो पेंशन संबंधी आदेश कब तक जारी कर दिये जायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

श्री बृहम देव सिंह के विरुद्ध कार्यवाही में सी0 एस0 आर0 के अनुच्छेद 470—बी के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक 3-3-94 द्वारा श्री सिंह की पेंशन से 10% कटौती करने का निर्णय लिया गया है । तद्नुसार शासन के पत्रांक—1178/12-1-93-253/92, दिनांक 19-3-94 द्वारा पेंशन स्वीकृत करने हेतु शासन द्वारा कृषि निदेशक को सहमति प्रदान कर दी गयी है ।

उ0प्र0 के पर्वतीय क्षेत्रों में तदर्थ नियुक्ति अंशकालिक चिकित्साधिकारियों को नियमित करने की मांग

60—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के पर्वतीय क्षेत्रों में 17 मई, 1990 के बाद नियुक्त अंशकालिक चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश एवं दिनांक 1-10-91 को जारी शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करा दिया क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त आदेशों के तहत ऐसे सभी अंशकालिक चिकित्साधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति/समायोजन/नियमितीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बलराम यादव—

उ0 प्र0 के पर्वतीय क्षेत्रों में दिनांक 17 मई, 1990 तक नियुक्त/कार्यरत अंशकालिक चिकित्सकों का शासनादेश दिनांक 1-10-1991 के अनुपालन में तदर्थ नियुक्ति दी जा चुकी है । आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा संवर्ग में चिकित्साधिकारियों के पदों की अनुपलब्धता के कारण अंशकालिक चिकित्सकों की मुख्य रिट याचिका—4886/90 पर मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11-2-1992 के विरुद्ध रिव्यू/रिकाल प्रार्थना-पत्र दाखिल किया जा चुका है । अतः दिनांक 17 मई, 1990 के बाद नियुक्त अंशकालिक चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन न होने की दशा में उनके संबंधित मामलों में प्रति-शपथ-पत्र के साथ उन पर मा0 न्यायालय के अन्तरिम स्थगन आदेशों को रिक्त कराये जाने के अनुरोध मा0 न्यायालय से किये गये हैं ।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में मामलों में मा0 न्यायालय के अग्रेतर आदेशों के पूर्व ऐसे अंशकालिक चिकित्सकों की तदर्थ नियुक्ति/समायोजन का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

उ0 प्र0 इन्जीनियर्स एवं आर्कीटेक्ट्स संघ को मान्यता देने की मांग

61–श्री सतीश भाटिया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या डिप्लोमा इन्जीनियर्स एवं आर्कीटेक्ट्स संघ की मान्यता हेतु आवेदन किया गया था ? क्या उसे शासन ने निरस्त कर दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त संघ को मान्यता देने पर पुनः विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश (सेवा संघों का मान्यता) नियमावली, 1979 के नियम–5(ग) के अनुसार मान्यता दिया जाना संभव नहीं है ।

62–श्री सतीश भाटिया–

[कई विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

जिला युवा कल्याण प्रा0 वि0 दल अधिकारी के पत्र पर आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस उपाधीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन फैजाबाद को लिखा जाना

63–श्री मित्रसेन यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला युवा कल्याण प्रा0 वि0 दल अधिकारी, फैजाबाद का पत्रांक 835 दिनांक 18-2-94 निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रशासकीय सम्पादेष्टा, प्रा0 वि0 दल, उ0 प्र0, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें कितने प्रस्तर हैं तथा प्रत्येक प्रस्तर में क्रमवार वर्णित तथ्यों के आधार पर कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो कार्यवाही कब तक की जायेगी? साथ ही साथ शिथिलता के लिए दोषी अधिकारियों को दण्डित भी किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र में कुल 7 प्रस्तर हैं । इसके सम्बन्ध में पुलिस उपाधीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन फैजाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया है ।

सम्प्रति किसी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं है ।

सिंचाई विभाग में अर्ह प्रारूपकार पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता

64–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग ड्राइंग संवर्ग हेतु अर्ह प्रारूपकार पद पर नियुक्ति हेतु वर्ष 1972 में शासन द्वारा अर्हता क्या थी ? इस सम्बन्ध में कौन शासनादेश लागू था ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 1972 में सिंचाई विभाग में अहं प्रारूपकार पद पर नियुक्ति के लिये निम्न अर्हता निर्धारित थी:–

(1) रुड़की यूनिवर्सिटी का ड्राफ्ट्समैनशिप का सर्टीफिकेट, अथवा
(2) बनारस यूनिवर्सिटी का 5 वर्ष (अब तीन वर्ष) ड्राफ्ट्समैन शिप का सर्टीफिकेट, अथवा
(3) अलीगढ़ यूनीवर्सिटी का ढाई वर्ष का ड्रैफ्ट्समैन शिप का सर्टीफिकेट, अथवा
(4) स्टेट बोर्ड आफ टैक्निकल एजुकेशन द्वारा दिया गया ड्राफ्ट्समैन शिप का सर्टीफिकेट, अथवा
(5) राजकीय आर्ट कालेज, लखनऊ द्वारा दिया गया 3 वर्ष का डिप्लोमा, अथवा
(6) स्टेट बोर्ड आफ टैक्निकल एजूकेशन द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग का 3 वर्ष का डिप्लोमा, अथवा
(7) अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा ।

इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-239 ए0 एन0/23/आई0 डी0/105/67, दिनांक 28-2-68 लागू था ।

सिंचाई विभाग में प्रारूपकार एवं संगणक के पद पर कार्यरत कर्मचारियों का पदनाम बदलने की मांग

65–श्री भगवती प्रसाद शुक्ला–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में अहं प्रारूपकार एवं संगणक पद पर ऐसे कर्मचारी नियुक्त हैं जो तकनीकी योग्यता के आधार पर संगणक पद से सहायक अभियन्ता (सिविल) पद पर प्रोन्नति की पात्रता में आते हैं ? यदि हां, तो विभाग में उनकी संख्या लगभग कितनी है ? क्या मंत्री जी ऐसे कर्मचारियों का पदनाम अवर अभियन्ता (प्रा0) करने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो उक्त प्रक्रिया को विभाग में कब तक कार्यरूप प्रदान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश अभियन्ता सेवा (सिंचाई विभाग) समूह ''ख'' सेवा नियमावली 1993 में दी गयी अर्हता के अनुसार सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त संगणक अर्ह होते हैं जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 7 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और नियमावली के परिशिष्ट ''ख'' में निर्धारित अर्हता रखते हों । ऐसे संगणकों की संख्या 40 है । प्रारूपकार, सहायक अभियन्ता के पद पर सीधे प्रोन्नति हेतु अर्ह नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रारूपकार एवं संगणकों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व अवर अभियन्ता के कर्तव्यों के समान एवं तुलनीय नहीं हैं । अतः डिप्लोमाधारी प्रारूपकारों एवं संगणकों का पदनाम अवर अभियन्ता (प्रा0) किये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के ब्लाक-भीटी के ग्राम सभा बमौली में जवाहर रोजगार योजना में व्यय धनराशि का विवरण

66–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद, तहसील अकबरपुर, ब्लाक भीटी, ग्राम सभा बमौली में जवाहर रोजगार योजना में वर्ष 1988-89 1990-91 व 1991-92 में कितनी कितनी धनराशि दी गयी ? उक्त धनराशि ग्राम प्रधान द्वारा कितना-कितना पैसा किस-किस मद में खर्च किया गया ? क्या यह सही है कि उक्त ग्राम प्रधान द्वारा प्राप्त धनराशि को अनियमित ढंग से खर्च किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी ग्राम प्रधान के विरुद्ध अपराधिक मुकदमा दर्ज कराकर दण्डित करेगी ?

श्री श्री राम यादव–

ग्राम सभा बमौली विकास खण्ड भीटी को जवाहर रोजगार योजना में निम्न प्रकार से धनराशि दी गई :–

वर्ष		रु0
	88–89	
	89-90	41,000
	90-91	19,076
	91-92	10,588
	कुल	70,664

उक्त धनराशि प्रधान द्वारा निम्न प्रकार से व्यय की गयी :–

	रु0 पै0
1–मिट्टी पटान कार्य	35,208.00
2–खड़न्जा	13,750.00
3–हैण्ड पम्प 3 नग	3,780.00
4–ट्यूब पाईप 15 "	5,596.00
5–लेखन सामग्री	478.30
6–निर्बल वर्ग आवास पर	4,100.00
कुल	62,912.30

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ स्थित रिहैबिलिटेशन एण्ड आर्टीफिशियल लिम्ब सेन्टर के सेवा निवृत्त निदेशक डा0 जे0 एन0 ककड़ की पेंशन तथा अन्य देयों के भुगतान की कार्यवाही

67—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको डा0 जे0 एन0 ककड़, सेवानिवृत्त निदेशक, रिहैबिलिटेशन एण्ड आर्टीफीशियल लिम्ब सेण्टर लखनऊ (जो कि 31-12-1987 को अवकाश ग्रहण कर चुके हैं) का एक ज्ञापन दिनांक 14-12-93 या उससे आस-पास मिला है जिसमें उनकी पेंशन तथा अन्य देयों के भुगतान का अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई तथा उनको देय लाभों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बलराम यादव—

जी हां ।

कार्यवाही प्रगति पर है और शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा ।

जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सिसवा के नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने की मांग

68—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सिसवा विधान सभा क्षेत्र महराजगंज से संचालित नहर एवं माइनरों का पानी प्रयोक्त सिंचाई सुविधा देने हेतु हेड से टेल तक पानी पहुंचाने की घोषणा दिनांक 22-12-93 को मुख्य मंत्री जी के द्वारा की गयी है ? उसके अनुपालन में आज तक भुलगीपुर, बरदिना नहर से निकलने वाली हनुमानगंज, झरवलिया, पिपरिया तथा सबेया, लोहेपार, चैनपुर माइनर से हेड से टेल तक पानी घोषणा के बावजूद न पहुंचाने का कारण क्या है ? क्या सरकार नहर के खुदाई करते समय हेड से टेल तक पानी न पहुंचने की त्रुटियों की जांच कराने तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

पिपरिया एवं चैनपुर नहरों पर पानी टेल तक पहुंचाया गया है । हनुमानगंज सबया तथा लोहेपार नहरें निर्माणाधीन है अतः टेल तक पानी नहीं पहुंच सका । झरवलिया नाम की कोई नहर नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा की तहसील कर्वी के शिवरामपुर में निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यशील करने की मांग

69—श्री भैरों प्रसाद मिश्र—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले के कर्वी तहसील के शिवरामपुर में नव निर्मित अस्पताल भवन जो बनने के बाद नष्ट हो रहा है, में चिकित्सा कार्य शुरू नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कब तक यह कार्य शुरू किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम यादव–

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शिवरामपुर का भवन वर्ष 1990 में बना था । परन्तु जल एवं विद्युत के अभाव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उक्त भवन में स्थानान्तरित नहीं किया जा सका जिसके कारण भवन में कुछ क्षति हुई है और इसी कारण उक्त भवन में चिकित्सा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया ।

प्रश्नगत चिकित्सालय भवन में जल सम्पूर्ति और विद्युतीकरण का कार्य सम्पन्न होते ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यशील हो जायेगा ।

पर्वतीय क्षेत्रों के खनिजों के लीज पट्टों को देने में शासन की नियमावली को लागू करना

70–श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि पर्वतीय क्षेत्र के खनिजों के लीज पट्टे क्षेत्र से बाहर के बड़े-बड़े उद्योगपतियों को लीज पर दिये जा रहे हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्र के मध्यम वर्गीय लोगों को ये पट्टे नीलामी में दिए जा रहे हैं ? यदि हां, तो इस दोहरी नीति का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

भारत सरकार द्वारा बनाये गये खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 1957 के अधीन खनिजों को मुख्य खनिजों एवं उप खनिज की दो श्रेणी में रखा गया है । मुख्य खनिजों का पट्टा स्वीकृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा नियमावली बनाई गई है जिसमें मुख्यतः प्रथम आगत प्रथम पावत का सिद्धान्त निर्धारित किया गया है । उक्त अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत उप खनिजों का पट्टा स्वीकृत करने के लिए प्रदेश शासन द्वारा नियमावली बनाई गयी है जिसके अन्तर्गत उप खनिजों को खनन पट्टा, नीलामी/निविदा द्वारा पट्टा तथा खनन अनुज्ञापत्र पर स्वीकृत करने की विधियां निर्धारित हैं । उक्त दोनों नियमावलियों के अन्तर्गत उद्योगपतियों एवं क्षेत्र के मध्यम वर्गीय लोगों को पट्टा प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त है । उक्त नियमावलियों के प्राविधानों के अन्तर्गत लीज पट्टे स्थानीय लोगों को भी स्वीकृत किये गये हैं । अतः दोहरी नीति लागू किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद पिथौरागढ़ को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने हेतु स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए (ऋण उपादान) राज सहायता योजना का लागू किया जाना

71–श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के लिए बाहर के लोगों को वहां होटल लगाने और अन्य व्यवसाय चलाने के लिए हर प्रकार से आकर्षित किया जा रहा है ? यदि हां, तो वहां के स्थानीय लोगों को भी प्रोत्साहित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह योजना कब से लागू होगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

निजी उद्यमियों को होटल लगाने एवं अन्य व्यवसाय चलाने हेतु आकर्षित किया जा रहा है ।

जी हां ।

स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए (ऋण उपादान) राज सहायता योजना वर्ष 1980–81 से लागू है । जिसमें निजी उद्यमियों को उनकी लागत का 20 प्रतिशत किन्तु अधिकतम रु0 50,000 की धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है ।

जनपद मथुरा में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कतिपय स्थलों की खुदाई का कार्य कराया जाना

72–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सांस्कृतिक कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में कितने बौद्ध विहार हैं ? क्या उनकी पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई की गयी ? खुदाई के दौरान जो प्राचीन अवशेष निकले क्या उनके रख-रखाव की सुनिश्चित व्यवस्था की गयी ? यदि हां, तो राजकीय संग्रहालय में रख-रखाव के दौरान अमूल्य वस्तुओं की चोरी की कितनी घटनायें हुई ? दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मथुरा जनपद में वर्तमान में कोई भी बौद्ध विहार अस्तित्व में नहीं है ।

राज्य सरकार के उ0 प्र0 राज्य पुरातत्व संगठन द्वारा मथुरा में कोई खुदाई नहीं करायी गयी है । कुछ स्थलों की खुदाई भारत सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कराई गयी थी ।

जी हां ।

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज के जिला पूर्ति अधिकारी (तत्कालीन) श्री ए0 के0 सिंह के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच आख्या प्रतीक्षित

73–श्री राम अधार यादव–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलापूर्ति अधिकारी (तत्कालीन), श्री ए0 के0 सिंह, जनपद महराजगंज के भ्रष्टाचार, गबन एवं स्वेच्छाचारिता के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-4-1993 श्री प्रभू दयाल यादव, ज्येष्ठ प्रमुख, घुघली के पम्पलेट के साथ शासन को प्राप्त हुआ है, जिसकी प्रतिलिपि मण्डलायुक्त, गोरखपुर, खाद्य एवं रसद सचिव, उ0 प्र0 शासन को भी प्रेषित की गयी थी ? यदि हां, तो संदर्भित पत्र में उल्लिखित तथ्य क्या थे और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण की जांच सहायक आयुक्त, खाद्य एवं रसद, गोरखपुर मण्डल के स्तर से की जा रही थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री ए0 के0 सिंह, तत्कालीन जिला पूर्ति अधिकारी, महराजगंज के संबंध में मा0 सदस्य का पत्र दिनांक 20 अप्रैल, 1993 तो नहीं बल्कि श्री प्रभू दयाल यादव, ज्येष्ठ प्रमुख घुघली का पम्पलेट शासन में प्राप्त हुआ था । उसमें श्री ए0 के0 सिंह के विरुद्ध छोटे-बड़े व्यापारियों एवं कोटेदारों को तंग करने, उनसे धन वसूलने, कोल स्पान्सरिंग में घपला करने, सरकारी गाड़ी के दुरुपयोग, आदि के आरोप लगाये गये हैं । इन सभी आरोपों की जांच जिलाधिकारी, महराजगंज से करायी जा रही है । उनकी जांच आख्या अभी प्रतीक्षित है ।

जनपद महराजगंज के अन्तर्गत परतावल में निर्मित मण्डी समिति में प्रचलित बाजार के स्थानान्तरण की मांग

74–श्री राम अधार यादव–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के अंतर्गत परतावल में मण्डी समिति का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या मण्डी स्थल पर बाजार न लगा कर पड़ोस में किसी दूसरे की जमीन पर लग रही है ? यदि हां, तो मंत्री जी दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही कर बाजार को निर्धारित मण्डी स्थल पर ही लगवाने का आदेश प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हा ।

जांच आदेशित है । जांचोपरांत तथ्यों के आधार पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये उत्पादों का थोक व्यापार निर्धारित नवीन मण्डी स्थल में यथाशीघ्र स्थानान्तरित कराया जायेगा ।

75–श्री राम कुमार शुक्ल–

[दि0 2-3-94 को अता0 प्र0 स0 134 द्वारा उत्तरित]

76–श्री रंगनाथ–

[5वें गुरु में अता0 प्र0 सं0–3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

77–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उ0 प्र0 स्वास्थ्य एवं चिकित्सा निदेशालय, जनपद लखनऊ में उपनिदेशक (इलेक्ट्रिकल) के पद पर नियुक्ति संबंधी प्रकरण

78–श्री प्रमोद तिवारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य एवं चिकित्सा निदेशालय, लखनऊ में उपनिदेशक (इलेक्ट्रिकल) के पद पर किसी ऐसे अधिकारी

की नियुक्ति की गयी है जिसके पास इलेक्ट्रिकल के स्थान पर मैकेनिकल की डिग्री है ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि उक्त अधिकारी को अब संयुक्त निदेशक (इलेक्ट्रिकल) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए आधुनिक इलेक्ट्रिकल उपकरणों की क्रय समिति में सचिव एवं तकनीकी सलाहकार का पदभार भी प्रदान किया गया है ? यदि हां, तो मैकेनिकल डिग्री के अधिकारी को इलेक्ट्रिकल विभाग का कार्यभार सौंपने तथा इलेक्ट्रानिक उपकरणों की क्रय समिति में सम्मिलित किए जाने का क्या औचित्य है ?

श्री बलराम यादव–

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में उत्तर प्रदेश विद्युत चिकित्सा अनुरक्षण कोष्ठक अभियंत्रण सेवा संवर्ग गठित है जिसमें यांत्रिक, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक तीनों ही विधाओं के अभियंता हैं । नियमानुसार उक्त संवर्ग के वरिष्ठतम अधिकारी को उप निदेशक (विद्युत) नियुक्त किया गया था । वर्तमान में उक्त पद रिक्त है पूर्व में उक्त पद पर कार्यरत अधिकारी की डिग्री यांत्रिक विधा की है ।

उप निदेशक (विद्युत) के पद पर कार्यरत अधिकारी को संयुक्त निदेशक (विद्युत) के पद पर नियमानुसार पदोन्नत किया गया है ।

संयुक्त निदेशक (विद्युत) के पास उप निदेशक (विद्युत) के पद का कार्यभार भी है ।

आधुनिक एवं विशिष्ट प्रकार के ऐसे सभी चिकित्सा उपकरणों जिनका मूल्य एक लाख से अधिक हो और जिनका क्रय सी0 एम0 एस0 डी0 के माध्यम से किया जाना हो, के लिए गठित क्रय समिति में उप निदेशक (विद्युत) तकनीकी सलाहकार हैं ।

उत्तर प्रदेश विद्युत चिकित्सा अनुरक्षण कोष्ठक अभियंत्रण सेवा संवर्ग के वरिष्ठतम अधिकारी को नियमानुसार संयुक्त निदेशक (विद्युत) के पद पर पदोन्नत किया गया है । उपर अंकित प्रकार के उपकरणों की क्रय समिति में तकनीकी सलाहकार के रूप में उप निदेशक (विद्युत) का नामांकन वरिष्ठता एवं अनुभव के आधार पर किया गया है ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में कार्यरत कर्मचारियों हेतु सेवा संबंधी मार्ग निर्देश का जारी किया जाना

79–श्री केदार सिंह फोनिया–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में वर्ष 1980 से लगभग 2500 कर्मचारी विभिन्न पदों पर अस्थाई रूप से कार्यरत हैं ? क्या अभी तक उनकी सेवा नियमावली नहीं बनाई गई ? यदि हां, तो इन कर्मचारियों की सेवाओं पर नियमितीकरण किस प्रकार किया जायेगा ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर किस प्रकार प्रोन्नति, ग्रेच्युटी तथा पेंशन का लाभ दिया जायेगा ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिक शासकीय सेवक नहीं हैं । अतः उनके बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत शासन द्वारा सेवा नियमावली का गठन नहीं किया जाना है । परन्तु प्रदेश के समस्त जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से दिनांक 17 मार्च, 1994 को शासन द्वारा सेवा संबंधी सामान्य मार्ग निर्देश जारी कर दिए गए हैं । सरकारी कर्मचारियों की भांति अभिकरणों के कार्मिकों को ग्रेच्युटी एवं पेंशन प्रदान किए जाने का नियम नहीं है ।

जनपद इलाहाबाद के ब्लाक नेवादा के ग्राम जनिया, दुर्गापुर व आँधन में पक्की नाली के निर्माण में गुणवत्ता

80–श्री शिवदानी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि बी0 एस0 ए0 (कृषि) रामगंगा कमाण्ड, इलाहाबाद को जनवरी माह में चायल विधान सभा की नाली निर्माण के लिए 10 लाख रुपए डी0 आर0 डी0 ए0 द्वारा दिया गया था ? क्या उन्होंने पुराने कार्य को ही नया कार्य दिखा कर 40 प्रतिशत कमीशन लिया और जो पक्की नाली का निर्माण नेवादा ब्लाक के जनिया, दुर्गापुर, आँधन में कराया गया ? क्या उसमें प्रयुक्त ईंट, बालू, पत्थर, सीमेंट घटिया किस्म के हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? दोषी पाए जाने पर अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी नहीं । मात्र 3.29 लाख रुपया प्राप्त हुआ है ।

जी नहीं ।

जी नहीं । ग्राम जनिया, दुर्गापुर और आँधन में कुल 2.52 कि0मी0 पक्की नाली बनाई गई जिसमें गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद हरदोई के राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मेसिस्टों के महंगाई भत्ते का भुगतान

81–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मेसिस्टों के वर्ष 1985 से 1990 तक के अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किश्तों के एरियर का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद हरदोई में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय में औषधि का चार्ज फार्मेसिस्ट को देने की मांग

82–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि शासन के आदेशानुसार जनपद हरदोई में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय में औषधियों का चार्ज फार्मेसिस्ट को हस्तगत करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

आई0 टी0 आई0 ट्रेन्ड प्रमाण-पत्र धारकों को इंजीनियरिंग डिप्लोमा संवर्ग में शामिल करने की मांग

83–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डाइंग संवर्ग सेवा नियमावली, 1985 के पूर्व विभिन्न विश्वविद्यालयों के इंजीनियरिंग डिप्लोमा ड्राफ्ट्समैनशिप के अभ्यर्थी किस सेवा नियमों के अन्तर्गत विभाग में नियुक्त किये गये थे ? यदि ऐसे अभ्यर्थियों के सेवा नियमों ड्राफ्ट सर्विस रूल 1951 के अनुसार थे, तो आई0 टी0 आई0 ट्रेण्ड प्रमाण-पत्र धारकों को इंजीनियरिंग डिप्लोमा संवर्ग में शामिल करना क्या विधि संगत है ? क्या शासन को इस संबंध में संवैधानिक अधिकार प्राप्त है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मुरदेवा बाजार के सेवा निवृत्त कम्पाउण्डर श्री त्रयम्बक पाठक के देयकों का भुगतान

84–श्री बनवारी लाल दोहरे–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री त्रयम्बक नाथ पाठक, कम्पाउण्डर, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, मुरदेवा बाजार, गोरखपुर दिनांक 30 सितम्बर, 1987 को सेवा निवृत्त हुए किन्तु उनसे संबंधित जी0पी0 फण्ड का भुगतान तथा नये वेतनमान में पेंशन का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ?यदि हां, तो उक्त दोनों भुगतान कब तक कर दिये जायेंगे ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

जी0पी0एफ0 की 90% धनराशि के भुगतान हेतु बिल कोषागार गोरखपुर को प्रस्तुत किया जा चुका है ।

शेष जी0पी0एफ0 की 10% धनराशि तथा नये वेतनमान में पेंशन का भुगतान महालेखाकार इलाहाबाद से आदेश प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायेगा ।

जनपद सुल्तानपुर के तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी के विरुद्ध अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

85–श्री तेजभान सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को संबोधित प्रश्नकर्ता का तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सुल्तानपुर के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच विषयक पत्र जो सी0 एम0 वि0 को0 एग0/419, 420, 421–82/फै0/92, दिनांक 23-6-92 प्रमुख सचिव, चिकित्सा को भेजा गया है, की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद हरदोई के जिला चिकित्सालय में अवैध वसूली की शिकायत का निराधार पाया जाना

86–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मो0 अनवार एडवोकेट, निवासी नवीगुरया, धर्मशाला रोड, हरदोई द्वारा जिला चिकित्सालय, हरदोई में उपचार हेतु कक्ष संख्या-9 में तैनात कम्पाउण्डर द्वारा डा0 पोखाल की रु0 100 फीस तथा अपनी रु0 50 फीस मांगे जाने की शिकायत माह दिसम्बर, 1993 में की गयी है ? क्या यह भी सही है कि उक्त चिकित्सालय में अवैध वसूली की जाती रहती है ? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी तथा इसे रोकने हेतु क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

जिला चिकित्सालय हरदोई में अवैध वसूली की शिकायत के सम्बन्ध में एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच कराई गयी किन्तु शिकायत निराधार पायी गयी थी । अतः इस सम्बन्ध में किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई स्थित नया प्रा0 स्वा0 केन्द्र परचल रसूलपुर में कार्यरत फार्मेसिस्ट श्रीराम बली कनौजिया को प्रभार भत्ता तथा महंगाई भत्ते का भुगतान

87–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम बली कनौजिया, फार्मेसिस्ट, नया प्रा0 स्वा0 केन्द्र, परचल, रसूलपुर, हरदोई को जुलाई, 1979 से फरवरी, 1985 का प्रभार भत्ता, सितम्बर, 1986 से मार्च, 1987 फरवरी, 1988 से मार्च 1989 तक का यात्रा भत्ता तथा दिनांक 16-12-91 से 22-12-91 का वेतन, शासन द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते 1991 से 1993 तक का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों? इस विलम्ब के लिए कौन उत्तरदायी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बलराम यादव–

श्री राम बली कनौजिया, फार्मेसिस्ट, नया प्रा0 स्वा0 केन्द्र, परचल, रसूलपुर जनपद हरदोई के जुलाई, 1979 से फरवरी 1985 तक प्रभार भत्ता, जुलाई, 1991

से सितम्बर, 1993 तक महंगाई भत्ता तथा 17-12-1991 से 21-12-1991 तक हड़ताल अवधि का वेतन अवशेषों के बिल बनाकर कोषागार, हरदोई को भेज दिये गये हैं ।

दिसम्बर, 1986 से मार्च, 1987 तक तथा फरवरी, 1988 से मार्च 1989 तक के बाकी बिलों में पायी गयी आपत्तियों के निराकरण हेतु श्री कन्नौजिया को वापस भेजा गया है ।

दिलम्ब का उत्तरदायित्व निर्धारित कर समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद जालौन में स्वीकृत सर्विस रोड के निर्माण की मांग

88–श्री चैनसुख भारती–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अब से लगभग 15 वर्ष पूर्व स्वीकृत जालौन-उमरी रोड से ग्राम अलाईपुरा तक का 3 कि0 मी0 रजवाह हदरुख के सर्विस रोड का निर्माण किन परिस्थितियों में लम्बित है ? क्या यह सही है कि इस सर्विस रोड के निर्माण हेतु गिट्टी आदि मैटीरियल मार्ग के किनारे 2 कि0मी0 तक आज भी उपेक्षित पड़ा है और सर्विस रोड का निर्माण आज तक नहीं हो सका ? क्या इस रोड का निर्माण शीघ्र पूरा कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण हेतु अनु0 जाति एवं अनु0 जन जाति के अभ्यर्थियों को एम0डी0 (आयुर्वेद) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आरक्षण की मांग

89–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये एम0 डी0 (आयुर्वेद) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है? यदि हां, तो कुल कितने स्थान आरक्षित हैं और आरक्षित स्थानों पर नियोजन की संख्या क्या है ? क्या यह भी सही है कि अब तक इस श्रेणी के किसी अभ्यर्थी को आरक्षण की सुविधा प्रदान नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, लखनऊ के प्रधानाचार्य द्वारा जुलाई, 1993 में आयोजित एम0डी0 (आयुर्वेद) प्रवेश परीक्षा में आरक्षण संबंधी शासनादेश का उल्लंघन किया गया था ? यदि हां, तो संबंधित प्रधानाचार्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

वर्तमान में आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ में 2, पीलीभीत में एक तथा झाँसी कुल में एक-एक विषय में 6 अथवा 7 अभ्यर्थियों के लिए एम0 डी0 (आयुर्वेद) सुविधा

अनुमन्य है । नियमानुसार प्रत्येक सत्र के लिए प्रत्येक विषय में एक स्थान का आरक्षण होता है । पीलीभीत एवं ऋषिकुल कालेज के लिए कानपुर विश्व विद्यालय द्वारा प्रवेश सम्पन्न नहीं हुआ है । राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ की स्थिति प्रश्न के अगले भाग के उत्तर में स्पष्ट की गई है । जुलाई, 1993 में कार्य चिकित्सा तथा शरीर विषय में आयोजित एम0डी0 (आयुर्वेद) प्रवेश परीक्षा भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के परिनियमों के प्राविधानों के अनुसार आयुर्वेद संकाय समिति द्वारा ली गयी है । किसी शासनादेश के उल्लंघन की जानकारी शासन को नहीं है ।

90–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में सरकारी सेवारत चिकित्सकों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए नान-प्रैक्टिस भत्ता लेने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

91–श्री राम बाबू हरित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने सरकारी सेवारत चिकित्सक नान-प्रैक्टिस भत्ता लेते हुए भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं ? क्या ऐसे चिकित्सकों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आगरा में उच्चतर प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य/नव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर निवास करने वाले चिकित्सकों का विवरण

92–श्री राम बाबू हरित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में उच्चतर प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/नव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ऐसे कितने चिकित्सक तैनात हैं, जो मुख्यालय पर निवास करते हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि चिकित्सक जो वहां निवास नहीं करते हैं, उनके खिलाफ मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा ने क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उक्त दोषी मुख्य चिकित्साधिकारी के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जनपद आगरा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन उच्चतर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/नव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 22 चिकित्सक ऐसे कार्यरत हैं जो कि अपने मुख्यालय पर निवास करते हैं । जो चिकित्साधिकारी मुख्यालय पर निवास नहीं करते हैं, उनमें से 12 चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध वेतन रोके जाने, चार चिकित्सकों को चेतावनी, तीन चिकित्साधिकारियों को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने की कार्यवाही मुख्य चिकित्साधिकारी आगरा द्वारा की गई है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव की मौरावां ब्रांच नहर की सफाई

93–श्री हृदय नारायण–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले की मौरावां ब्रांच की सफाई गत 3 वर्ष से बिल्कुल न किए जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार अवगत है कि इस ब्रांच के ग्राम दूंदपुर के नीचे महारानी खेड़ा, मंजर खेड़ा और डाक बंगले के सामने मुख्य नहर के मध्य में वनस्पतियां हैं और अक्कोहरी के नीचे मुख्य धारा के बीच बबूल के बड़े-बड़े पेड़ हैं ? क्या सरकार यह भी अवगत है कि यही ब्रांच रायबरेली के संताव क्षेत्र में भी जाती है और वहां पानी कभी नहीं पहुंचता है ? क्या सरकार इस पूरी कुव्यवस्था पर कोई उत्तरदायित्व निर्धारित करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

आवश्यकतानुसार नहर में थेक, बन्धे, साइफन की सफाई व पानी के बहाव में अवरोध करने वाले सिवार घास एवं अन्य वनस्पतियों को साफ कराया गया है । जी नहीं। ग्राम दूनदपुर के नीचे महरानीखेड़ा, खनजर खेड़ा और डाक बंगले के सामने नहर के मध्य य मुख्य धारा में वनस्पति व बबूल के पेड़ नहीं हैं । यह नहर रायबरेली के संताव क्षेत्र से जाती है और वहां पानी पहुंचता है परन्तु कम मात्रा में ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरौली अहीर में कार्यरत डा0 रविन्द्र कुमार सोलंकी द्वारा प्राप्त स्थगन आदेश को निरस्त करने की कार्यवाही

94–श्री राम बाबू हरित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि आगरा के बरौली अहीर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी नान-प्रैक्टिस भत्ता लेते हुए भी आगरा नर्सिंग होम में सर्जन के रूप में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या उनके खिलाफ शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

श्री बलराम यादव–

जी हां । प्रभारी चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरौली अहीर डा0 रविन्द्र कुमार सोलंकी को नान प्रैक्टिस भत्ता लेते हुए प्राइवेट प्रैक्टिस करने के आरोप में शासनादेश दिनांक 11 दिसम्बर, 1992 द्वारा निलम्बित किया गया था, परन्तु डा0 सोलंकी मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ से स्थगन आदेश दिनांक 4-1-1994 को प्राप्त कर कार्यरत हैं । स्थगन आदेश को निरस्त कराये जाने की कार्यवाही चल रही है ।

जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा में पुरवा–मझिगवां-जगदीशपुर-पिपरी-मुबारकपुर सम्पर्क मार्ग को कृषि उत्पादन मण्डी समिति के धन से बनाने की मांग

95–श्री हृदय नारायण–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले की पुरवा तहसील की मण्डी तक कृषि उपजों को आसानी से पहुंचाने के लिए प्रश्नकर्ता द्वारा कृषि उत्पादन मण्डी समिति

के धन से पुरवा–मझिगवां-जगदीशपुर-पिपरी-मुबारकपुर मात्र 11 कि0 मी0 सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के हेतु प्रस्तावित मुख्य मंत्री को माह जनवरी 94 में प्रेषित प्रश्नकर्ता के प्रार्थना-पत्र जिसकी प्राप्ति प्रश्नकर्ता को सम्बोधित संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री के पत्र सी0एम0ओ0को/एम-1/ल/1-90-93, दिनांक 7-1-94 द्वारा की गयी है, पर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार अवगत है कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति के धन से उक्त मार्ग बन जाने से हजारों किसान लाभान्वित होंगे ? यदि हां, तो मार्ग कब तक बन जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

माह जनवरी 94 में प्रश्नाधीन कोई पत्र प्राप्त होने की पुष्टि नहीं हुई । प्रश्न में उल्लिखित संयुक्त सचिव मुख्य मंत्री के पत्र दि0 7-1-94 द्वारा मा0 सदस्य के पत्र दि0 14-12-93 की प्राप्ति स्वीकार की गयी है और उक्त दि0 14-12-93 के पत्र में मात्र 6 कि0 मी0 लम्बे सम्पर्क मार्ग (पुरवा कस्बा को जोड़ने वाली मुबारकपुर–जगदीशपुर–मझिगवां–स्टाक तुरवा) के निर्माण कराने हेतु कहा गया है ।

मण्डी समिति एवं जिलाधिकारी के प्रस्ताव तथा सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होने पर लाभान्वित होने वाले कृषकों की संख्या ज्ञात हो सकती है । मार्ग निर्माण जिला स्तरीय चयन समिति की संस्तुति तथा स्थानीय मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करेगा ।

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा में शारदा खण्ड (सिंचाई) व सिंचाई खण्ड की नहरों की सफाई का कार्य निर्धारित कार्यक्रम एवं मानक के अनुसार कराया जाना

96–श्री हृदय नारायण–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के पुरवा विधान सभा क्षेत्र की शारदा खण्ड (सिंचाई) व सिंचाई खण्ड की नहरों की सिल्ट सफाई में वर्ष 93-94 में लाखों रुपये खर्च दिखाई हुई हैं और फर्जी बाउचर कागज तैयार हुए हैं ? क्या मुख्य मंत्री को प्रेषित प्रश्नकर्ता के पत्र जिसकी प्राप्ति संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री के पत्र संख्या–सी0एम0ओ0को0/एम–1/ल/1–90–93, दिनांक 7-1-94 के द्वारा स्वीकार की गई है, में वर्णित बिन्दुओं की टी0ए0सी0 से सरकार जांच करायेगी ? क्या सरकार को ज्ञात है कि वर्ष 92-93 व 91-92 में भी इसी प्रकार प्रश्नगत क्षेत्र में सिल्ट सफाई में घपला किया गया था ? क्या सरकार इन वर्षों की भी जांच करवायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्य निर्धारित कार्यक्रम एवं मानक के अनुसार कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर में विकास खण्ड नरायणपुर जमालपुर एवं सीखड़ के समस्त ग्राम प्रधानों को जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आवंटित धनराशि एवं कृत कार्य का विवरण

97–श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नरायणपुर विकास खण्ड (जिला मिर्जापुर) के प्रत्येक ग्राम प्रधान को वर्ष 1992-93 व 1993-94 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कितनी-कितनी धनराशि दी गयी ? किस-किस ग्राम प्रधान के विरुद्ध इस मद के धन के दुरुपयोग के कारण जांच चल रही है ? डी0 आर0 डी0 ए0 मद से कौन-कौन से कार्य इन दो वर्षों में स्वीकृत हुए और उस पर कितनी धनराशि आवंटित हुई ? कौन-कौन कार्य अपूर्ण है ?

श्री श्रीराम यादव–

जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत विकास खण्ड नरायणपुर के ग्राम प्रधानों को वर्ष 1992-93 में मु0 33,27,227 व 1993-94 में मु0 41,84,557 की धनराशि अवमुक्त की गई है । ग्राम सभावार विवरण संलग्न है ।

सूची संलग्न है ।†

स्वीकृत कार्यों, आवंटित धनराशि तथा अपूर्ण कार्यों की वर्षवार सूची संलग्न है ।

98–श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि डी0 आर0 डी0 ए0 में जिला मिर्जापुर को वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 के लिए कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी ? मिर्जापुर जिले के विकास खण्ड सीखड़, नरायनपुर एवं जमालपुर में वर्ष 92-93 तथा 93-94 में कौन-कौन से निर्माण कार्य और प्रत्येक के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी ? प्रत्येक प्रस्तावित निर्माण कार्य के अन्तर्गत निर्माण कार्य के अन्तर्गत निर्माण की जिम्मेदारी किस एजेन्सी को दी गयी है ? वर्ष 1992-93 के कौन-कौन से कार्य हैं जो लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को दिये गये ? कितने कार्य अभी अपूर्ण हैं ?

श्री श्रीराम यादव–

डी0 आर0 डी0 ए0 मिर्जापुर को वर्ष 1992-93 में जवाहर रोजगार योजना मद में 854.73 लाख एवं वर्ष 1993-94 में 1847.92 लाख धनराशि अवमुक्त की गई है ।

निर्माण कार्य, स्वीकृत धनराशि तथा कार्यदायी विभाग का वर्षवार विवरण संलग्न है ।

विवरण सूची संलग्न है ।†

99–श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जमालपुर विकास खण्ड (जिला मिर्जापुर) के प्रत्येक ग्राम प्रधान को वर्ष 1992-93 व 1993-94 में जवाहर रोजगार

†छापा नहीं गया ।

योजना के अन्तर्गत कितनी-कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी ? किस-किस ग्राम प्रधान के विरुद्ध इस मद के धन दुरुपयोग के कारण जांच चल रही है ? डी0 आर0 डी0 ए0 मद से कौन-कौन से कार्य इन दो वर्षों में ब्लाक में स्वीकृत हुए ? प्रत्येक कार्य हेतु कितनी धनराशि आवंटित हुई ? कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं ।

श्री श्रीराम यादव–

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड जमालपुर के ग्राम प्रधानों को वर्ष 1992-93 में मु0 33,86,658 व वर्ष 1993-94 में मु0 42,83,585 की धनराशि अवमुक्त की गयी । ग्राम सभावार विवरण संलग्न है ।†

निम्नलिखित ग्राम सभाओं के प्रधानों के विरुद्ध प्राप्त धन के दुरुपयोग की जांच चल रही है :–

कुण्डाही, रंरूपुर, धारा, गहोगनी, जयपट्टी, रीवा, जमुड़ी, मदनपुरा, डेढ़ौना, धरवाह, डबक, सहिजनीकला खुर्द, भभौरा, ममई, मुड़हुआ, सकरौड़ी, बरवें, मिल्की, गयासपुर, रौशनहर, बेलखरा, महमूदपुर, बड़भुइली, भुइलीखास, महुली ।

डी0 आर0 डी0 ए0 मद से स्वीकृत कार्यों, आवंटित धनराशि एवं अपूर्ण कार्यों का वर्षवार विवरण संलग्न है ।†

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सीखड़ के ग्राम सभाओं को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का विवरण एवं कतिपय ग्राम प्रधानों के विरुद्ध धन दुरुपयोग की जांच

100–श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले के विकास खण्ड सीखड़ में वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 के लिए प्रत्येक ग्राम प्रधान को कितनी-कितनी धनराशि ''जवाहर रोजगार योजना;' के अन्तर्गत दी गयी ? इन वर्षों में डी0आर0डी0ए0 मद से कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये ? इस विकास खण्ड के किस-किस ग्राम प्रधान के विरुद्ध ''जवाहर रोजगार योजना'' के धन के दुरुपयोग की जांच चल रही है ?

श्री श्रीराम यादव–

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत विकासखण्ड सीखड़ी की ग्राम सभाओं को वर्ष 1992-93 में मु0 15,90,556 एवं 1993-94 मु0 18,83,624 रुपये की धनराशि अवमुक्त की गयी । ग्राम सभावार विवरण संलग्न है ।

इन वर्षों में डी0 आर0 डी0 ए0 मद से निम्न निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये :–

जवाहर रोजगार योजना :–ब्लाक बाउन्ड्री
सोनवर्षा बाउन्ड्री
पसियाही सड़न्जा ।

---

†छापा नहीं गया ।

दस लाख कूप योजना :—रुदौली तालाब
मवैया तालाब
पसियाही में सिंचाई नाली
सिंचाई कूप निर्माण ।

विकास खण्ड के निम्न ग्राम प्रधानों के विरुद्ध जांच कार्यवाही चल रही है :—

1—प्रेमापुर
2—धन्नूपुर
3—बिदापुर
4—अदलपुर

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 65—66 पर)

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पाठों में कन्या जूनियर हाई स्कूल के भवन निर्माण की मांग

101—श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पावां मुख्यालय पर कितने वर्षों से राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल चल रहा है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इतने वर्षों के बाद भी जमीन की रजिस्ट्री होने के बावजूद अभी तक इसके भवन का निर्माण न होने के क्या कारण है ? क्या पावां कन्या जूनियर हाई स्कूल का भवन निर्माण तत्काल किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद पौड़ी के विकास खण्ड पावों मुख्यालय पर राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल 1965 से चल रहा है ।

उक्त विद्यालय किराए के भवन में संचालित है । भवन निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर की सिंचाई हेतु आवंटित जल का विवरण

102—श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले की सिंचाई के लिए लोवर गंगा व तथाकथित राम गंगा नहर में कितना जल प्रतिदिन व प्रतिवर्ष के लिए आवंटित है ? कितना जल गत वर्ष 1991-92 व 1993 में प्राप्त हुआ ? उक्त प्राप्त जल आवंटित जल से कितना प्रतिशत कम है ? इस कमी का क्या कारण है ? क्या सरकार इस कमी को दूर करने के लिए फतेहपुर जिले में स्टेट ट्यूबवैल खुदवाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक तथा कितने ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

फतेहपुर जनपद में लोवर गंगा नहर (फतेहपुर शाखा) एवं तथाकथित रामगंगा नहर (पश्चिमी इलाहाबाद शाखा) पर प्रतिदिन एवं प्रतिवर्ष निम्नानुसार जल आवंटित हुआ ।

नहरवार आवंटित जल

लोअर गंगा नहर (फतेहपुर शाखा) तथा कथित राम गंगा नहर (इलहाबाद शाखा)					
क्रमांक	वर्ष	प्रतिदिन क्यूसेक्स	प्रतिदिन क्यूसेक्स	प्रतिदिन क्यू सेक्स	प्रतिवर्ष कु0यू
1	91–92	1038.0	254370	710	167630
2	92–93	817.0	188760	656	142960
3	93–94 28–2–94 तक	1174.0	233420	689	131630

फतेहपुर जनपद में उन नहरों में प्रतिदिन प्रतिवर्ष निम्नानुसार जल प्राप्त हुआ :–

नहरवार प्राप्त जल क्यूसेक्स दिवस में

क्रमांक	वर्ष	लोअर गंगा नहर (फतेहपुर शाखा) तथा कथित रामगंगा नहर (प0इला0शा0)			
		प्रतिदिन	प्रति वर्ष	प्रतिदिन	प्रति वर्ष
1	91–92	798	158960	659	110680
2	92–93	688	135620	594	84890
3	93–94 (28–2–94 तक)	875	160225	768	97500

इन नहरों से प्राप्त जल एवं आवंटित जल का प्रतिशत वर्षवार निम्नानुसार है :—

		लोअर गंगा नहर (फतेहपुर शाखा)		रामगंगा नहर (प0 इला0 शाखा)	
क्रमांक	वर्ष	प्राप्त जल व आवंटित जल का प्रतिशत	प्राप्त जल की कमी का प्रतिशत	प्राप्त जल व आवंटित जल का प्रतिशत	प्राप्त जल की कमी का प्रतिशत
1	91–92	62	38	66	34
2	92–93	82	18	59	41
3	93–94	81	19	74	26

लोवर गंगा नहर एवं तथाकथित रामगंगा नहर से बुलन्दशहर जनपद में स्थित नरोरा बैराज से निकलने वाली लोअर नहर से पोषित कानपुर शाखा से पानी प्राप्त होता है तथा पानी लगभग 300 कि0मी0 चलने के बाद फतेहपुर जनपद की नहरों में प्रवेश करता है । नहर के ऊपरी भाग में पानी की अपेक्षाकृत अधिक सप्लाई होने के कारण जनपद फतेहपुर की नहरों में जो टेल भाग है में पानी की कमी हो जाती है ।

अभी ऐसी कोई योजना संज्ञान में नहीं है । वर्ष 94-95 में जिला प्लान में केवल एक नलकूप स्वीकृत है जिसके स्थल का चयन होना है ।

जिला योजना के प्रस्ताव पर निर्भर करेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जखोली/कीर्तिनगर में प्रस्तावित अवधि में वज्रपात की घटना घटित न होना

103–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, 1992 में विकास खण्ड जखोली तथा विकास खण्ड कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल में वज्रपात होने से नहरें, मोटर मार्ग, हाईटम, सम्पर्क मार्ग, पैदल मार्ग एवं पेयजल योजनायें पूर्णतया क्षतिग्रस्त हुई थीं ? सरकार ने क्षतिग्रस्त योजनाओं की मरम्मत हेतु कितनी धनराशि किस-किस मद में दी है ? क्या सभी कार्य सम्पन्न हो गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

अगस्त 1992 में विकास खण्ड जखोली तथा कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल में वज्रपात की कोई घटना नहीं हुई थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लाला लाजपतराय चिकित्सालय कानपुर से सम्बद्ध डा0 मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय कानपुर में स्टोवर्ड के पद पर कार्यरत कर्मचारियों का विवरण

104–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लाला लाजपत राय चिकित्सालय, कानपुर से सम्बद्ध डा0 मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय, कानपुर में यूनिट के प्रारम्भ से अब तक कौन-कौन कर्मचारी स्टीवर्ड के पद पर कब-कब कार्यरत रहे हैं ? सम्प्रति वहां पर कार्यरत कर्मचारी का नाम, पदनाम व वेतनमान क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त कर्मचारियों के प्रोन्नति व नियुक्ति प्राधिकारी पूर्व में कौन थे तथा वर्तमान में कौन हैं ?

श्री बलराम यादव–

लाला लाजपत राय चिकित्सालय, कानपुर से सम्बद्ध डा0 मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय, कानपुर में यूनिट के प्रारम्भ से निम्नलिखित कर्मचारी स्टूवर्ड के पद पर कार्यरत रहे हैं :–

1–श्री एस0 के0 महेश्वरी–वर्ष 1969 से 1976 तक

2–श्री एम0 पी0 श्रीवास्तव–वर्ष 1976 से अगस्त 1979 तक

3–श्री एच0 एल0 वाजपेयी–सितम्बर, 1979 से सितम्बर, 1982 तक

4–श्री ए0 के0 बनर्जी–अक्टूबर, 1982 से दिसम्बर, 1990 तक

5–श्री सदली राम 1-2-91 से स्टूवर्ड के पद पर कार्यरत हैं ।

सम्प्रति वहां पर कार्यरत कर्मचारी का नाम सदली राम है जो स्टूवर्ड के पद पर कार्यरत है तथा उनका वेतनमान रुपये 1200–2040 है । पूर्व में उक्त कर्मचारियों के प्रोन्नति/नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण थे ।

वर्तमान में मेडिकल कालेजों के कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी संबंधित मेडिकल कालेज के प्राचार्य तथा मेडिकल कालेज से सम्बद्ध चिकित्सालयों के कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी सम्बन्धित चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक हैं । प्रोन्नति प्राधिकारी महा-निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0 प्र0 हैं ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल स्थित उ0 मा0 वि0 किनपुर के उच्चीकरण की मांग

105–श्री हरक सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 मा0 वि0, किनपुर, पौड़ी गढ़वाल का इण्टरमीडिएट विद्यालय के रूप में उच्चीकरण करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

फिलहाल नहीं ।

आगामी वित्तीय वर्ष में विचार किया जायेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद उत्तरकाशी में विनाशकारी भूकम्प से प्रभावित परिवारों को देय ऋण को अनुदान में बदलने की मांग

106–श्री बरफिया लाल जुवांठा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरकाशी जनपद में आये विनाशकारी भूकम्प में शासन द्वारा कितने परिवारों को लाभान्वित किया गया ? कितने लोगों के मकान अब तक बनकर तैयार हो चुके हैं ? क्या इन मकानों के निर्माण के लिए व्यक्तिगत ऋण की भी व्यवस्था की गयी है ? क्या दिये गये ऋण को अनुदान में सम्मिलित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

विवरण संलग्न है ।

14,646 मकान अब तक बनकर तैयार हो चुके हैं ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि हडको से ऋण शासकीय प्रतिभूति के आधार पर लिया गया था जिसका पुनर्भुगतान ऋणगृहीता का ही दायित्व है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 67 पर)

वर्तमान विधान सभा के सदस्य श्री देवकी नन्दन के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन आपसे यह करना है कि एक वर्तमान सदस्य स्वर्गीय श्री देवकी नन्दन एवं पांच भूतपूर्व विधायकों का शोक प्रस्ताव है। हमारा आपसे निवेदन है कि आज केवल माननीय स्वर्गीय श्री देवकी नन्दन जी का प्रस्ताव लिया जाय, अन्य जो भूतपूर्व विधायक हैं, उनके निधन का प्रस्ताव दूसरे दिन लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आज मुझे अत्यन्त दुख के साथ इस सदन को दुखद निधन का समाचार देते हुए और भी दुख हो रहा है कि हमारे इस सदन के वर्तमान सदस्य माननीय स्वर्गीय श्री देवकी नन्दन जी का निधन हो गया है। उनके साथ हमें भी काम करने का मौका मिला। पहली बार वह 1977 में इस सदन के सदस्य चुने गये। उसके बाद 1989 में और अभी 1993 के चुनाव में वह इस सदन में चुनकर आये। हृदयगति रुक जाने से उनका निधन हुआ। वह अत्यन्त समाजसेवी थे और उनकी रुचि समाज उत्थान के लिए हमेशा थी, शिक्षा प्रचार और विशेषकर व्यापार में भी उनकी रुचि रही।

हम सभी को उनके निधन से दुख है, पूरा सदन भी दुखी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के पद पर भी काम किया है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में भी उन्होंने काम किया और वह बराबर रचनात्मक कार्यों से जुड़े रहे। उनके निधन से भारतीय जनता पार्टी को जो दुख है, उस दुख में भी हम शामिल हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार तक, उनके दल तक, उनके संबंधियों तक हमारी और हमारे दल की तरफ से शोक संवेदनायें भेजने की कृपा करें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय श्री देवकी नन्दन जी के निधन के संबंध में जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन ने व्यक्त किए हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। माननीय श्री चौधरी देवकी नन्दन जी अपने बाल्यकाल से ही सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि लेते थे। मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्व में जब जनसंघ था, 1951 में उसकी स्थापना हुई थी, उस स्थापना अधिवेशन में भी वह क्रियाशील थे और जनसंघ के मंत्री के नाते उन्होंने कार्यवहन किया था। वह जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे, उसके बाद राजनैतिक क्षेत्र में क्रियाशील बने रहे। पिछले दिनों तक वह भारतीय जनता पार्टी, उन्नाव के जिला अध्यक्ष थे। इस आदरणीय सदन में तीन बार निर्वाचित होकर वह आये। वह पहली बार 1977, में उसके बाद 1989 और 1993 में विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। बहुत ज्यादा स्कूली योग्यता उनकी नहीं थी लेकिन अनुभव से, ज्ञान से जैसा कि मैंने कहा वह बहुत ही उच्च प्रतिभा के धनी थे। अनेक आन्दोलनों में जेल गये, आपातकाल के समय मीसा में भी 19

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

महीने कारावासित रहे, केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र में भी उनका बड़ा भारी योगदान रहा । वह हुकमरान इण्टर कालेज उन्नाव के अध्यक्ष तथा नया पुरवा व पाटन इण्टर कालेज (उन्नाव) के कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे । उनके निधन से पूरे क्षेत्र को अपूर्णनीय क्षति हुई है । वैसे तो मान्यवर, जो यहां पर आया है उसे जाना ही है ।

श्री देवकी नन्दन जी के निधन से हमने पुरानी पीढ़ी के एक अनुभवी राजनीतिज्ञ को खो दिया है । मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे, उनके परिवारजनों, पार्टी कार्यकर्ताओं और शुभचिन्तकों को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें । इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं उनके श्री-चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं तथा श्रीमन्, आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे और मेरे दल की भावना से उनके परिवार और शुभचिन्तकों को अवगत कराने की कृपा करें ।

(माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी का नाम पुकारे जाने तथा किसी के खड़े न होने पर)

*श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सम्मानित साथी श्री देवकी नन्दन जी के निधन पर जो विचार माननीय नेता सदन, श्री मुलायम सिंह यादव, उप नेता भारतीय जनता पार्टी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने व्यक्त किए हैं, उससे मैं अपने तथा अपने दल को संबद्ध करता हूं । मान्यवर अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा दुःखदायी क्षण होता है जब हममें से कोई साथी हमें छोड़कर जाता है । जिसके साथ हम काफी अर्से तक कार्य करते रहे हों जब उनमें से कोई बिछड़ता है तो बहुत तकलीफ होती है । माननीय देवकी नन्दन जी के साथ मुझे 1989 में और 1993 में इस विधान सभा में कार्य करने का अवसर मिला था । वह एक सरल हृदयी, सच्चे स्वभाव के और एक बुजुर्ग के रूप में सदैव अपनी उपस्थिति का अहसास सदन में कराते रहे थे । उनके निधन से इस सम्मानित सदन का एक महत्वपूर्ण साथी हमारे बीच से चला गया । मैं विशेष रूप से अपना दुःख बांटना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के साथ जिनका साथी, जो उनके दल के लिये समर्पित रहा है, वह उनसे अलग हो गया है ।

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के प्रति संवेदना और सद्भावना व्यक्त करता हूं। मान्यवर, एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा । श्री देवकी नन्दन जी उन्नाव जनपद के हित के लिये सदैव संघर्ष करते रहे और वह संगठन को पूरी तरह से समर्पित रहे । मैं और मेरे दल की भावनायें उनके परिवार और उनके हजारों, लाखों शुभचिन्तकों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, श्री देवकी नन्दन जी के निधन पर जो श्रद्धोद्गार माननीय नेता सदन और माननीय उप नेता भारतीय जनता पार्टी और नेता कांग्रेस दल ने व्यक्त किए हैं, मैं अपने और अपने दल को उनके विचारों से सम्बद्ध करता हूं । यह बड़ी

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

दु:खदायी घड़ी है कि हमारे इस सदन के हमारे साथी जो हमारे साथ बैठते थे वह हमको छोड़कर चले गये । मान्यवर, वह इस माननीय सदन के तीन बार सदस्य चुने गये । वह जीवन भर एक विचार धारा से मजबूती से जुड़े रहे । कम शिक्षित होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसे काम किये जो अच्छी से अच्छी शिक्षा लेने के बाद समाज में लोग विभिन्न क्षेत्रों में नहीं कर पाते हैं । और उन्होंने शिक्षण संस्थाओं से भी अपने को सम्बद्ध रखा और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जेल यात्रा भी की, इमरजैन्सी के दौरान वह मीसा में बन्द रहे और उन्नाव जिले में उनकी छाप थी, पहचान थी, वह हरदिल अजीज के रूप में जाने जाते थे । मैं और मेरा दल उनके निधन से दु:खी है । मैं निवेदन करूंगा कि मेरे और मेरे दल की तरफ से श्री देवकी नन्दन जी के शोकाकुल परिवार तक संवेदना पहुंचाने का कष्ट करें ।

*श्री उदल–

मान्यवर, माननीय देवकी नन्दन जी के निधन पर जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, माननीय उपनेता भारतीय जनता पार्टी, माननीय नेता कांग्रेस आई, माननीय नेता जनता दल ने व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, माननीय देवकी नन्दन जी इस माननीय सदन के तीन बार सदस्य रहे और मुख्य रूप से वह भारतीय जनता पार्टी के अच्छे और निपुण कार्यकर्ता और नेताओं में गिने जाते थे । उनके निधन से सबसे बड़ा नुकसान उन्नाव जनपद का हुआ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का भी हुआ । मान्यवर, माननीय देवकी नन्दन एक अच्छे और कुशल सामाजिक कार्यकर्ता, थे । उनके निधन पर मैं और मेरा दल संवेदना प्रकट करता है और आपसे निवेदन है कि उनके दुखी परिवार तक संवेदना पहुंचाने की कृपा करें और साथ ही भारतीय जनता पार्टी परिवार तक जो उनका दफ्तर है वहां भी पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री राम स्वरूप शर्मा–

मान्यवर, माननीय देवकी नन्दन जी के निधन पर जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, माननीय उप नेता भारतीय जनता पार्टी, माननीय नेता कांग्रेस आई, माननीय नेता जनता दल, माननीय नेता कम्युनिस्ट पार्टी ने व्यक्त किए हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं मैं और मेरा दल उनके निधन से दु:खी है ।

माननीय देवकी नन्दन जी विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो गये थे। उन्होंने अपने जिले उन्नाव के लिये आजीवन बहुत काम किया और जेल भी गये । इमरजेंसी में वह मीसा में बंद रहे । उन्होंने भाजपा और जनसंघ के सदस्य के रूप में समाज की सेवा की इसलिये उनके दल को जो हानि हुई है उसका मुझे दुख है और उस जिले को जो हानि हुई है उससे भी मुझे दु:ख है । मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे और मेरे दल की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार तक संवेदना पहुंचाने की कृपा करें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

*श्री महबूब अली–

मान्यवर, माननीय देवकी नन्दन जी के निधन से हमारे इस सदन के एक अच्छे साथी नहीं रहे । उनके प्रति जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, माननीय उप नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता जनता दल, माननीय नेता कांग्रेस, माननीय नेता कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), माननीय नेता कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रकट किये हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से आपसे निवेदन करता हूं कि उनके शोकाकुल परिवार एवं शुभचिंतकों तक शोक संवेदनाएं पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवकी नन्दन जी के निधन पर जो शोकोद्गार मा0 नेता सदन, मा0 उप नेता भाजपा, मा0 नेता कांग्रेस पार्टी, मा0 नेता जनता दल तथा अन्य दल के नेताओं, ने व्यक्त किए हैं उनसे मैं अपने दल को सम्बद्ध करता हूं ।

मान्यवर, श्री देवकी नन्दन जी एक कुशल राजनीतिज्ञ थे, वह छात्र जीवन से ही समाज सेवा में रुचि रखते थे और अनेक बार राष्ट्रीय आंदोलनों में वह जेल गये तथा 1976 में मीसा बंदी के रूप में जेल यात्रा की । मान्यवर, उनकी समाजसेवा का प्रमाण स्वयं में स्पष्ट है कि उन्नाव की जनता ने उन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुनकर यहां भेजा ।

मान्यवर, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को भगवान इतनी शक्ति दें कि वे इतने बड़े दुख को झेल सकें । मान्यवर, मैं अपनी तरफ से और अपने दल के सदस्यों की तरफ से आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी शोक संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक एवं भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, स्वर्गीय चौधरी देवकी नन्दन जी के संबंध में जो शोकोद्गार मा0 नेता सदन, मा0 उप नेता, भाजपा, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, मा0 नेता कांग्रेस पार्टी श्री प्रमोद तिवारी एवं अन्य दलों के नेताओं, ने व्यक्त किये हैं मैं उनसे स्वयं को सम्बद्ध करता हूं । श्रीमन्, वैसे मुझे खड़े होने की आवश्यकता नहीं थी चूंकि हमारे आदरणीय नेता सदन ने चौधरी जी के संबंध में शोकोद्गार व्यक्त कर दिये हैं लेकिन शोक में परम्परा टूट जाती है । मान्यवर, मेरा चौधरी साहब से सम्पर्क 25–30 साल पूर्व हुआ था । वह नितान्त सरल स्वभाव और सरल हृदय के व्यक्ति थे और हमेशा सीधी सरल बात कहते थे और जैसा आदरणीय गुप्ता जी ने बताया कि उनकी पूरी स्कूली शिक्षा नहीं हुई थी लेकिन समाज सेवा में उनकी घर-घर घूमने की शैली लोकप्रिय थी । वह जब जनसंघ के जिला अध्यक्ष चुने गये थे तो मैंने उनके साथ जिले के सेक्रेटरी के रूप में काम किया था और हम दोनों ही पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे और बस में साइकिल लाद कर गांव-गांव में लोगों से मिलते थे । इसके अलावा आपातकाल में भी हम और वह पूरे 24 महीने जेल में रहे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, उसके बाद जब मैं उस दल को छोड़कर समाजवादी आंदोलन का कार्यकर्ता हो गया तब भी वह लगातार हमारे पास आया करते थे और प्रायः चूंकि उनका स्वभाव सरल था और सीधी बात कहते थे इसलिए जब मुझे उनके निधन की खबर मिली तो मुझे बहुत दुख हुआ । मान्यवर, वह प्रायः नाराज होकर मुझे कहते थे कि तुम बेधर्मी हो गये हो और मैं उन्हें डा0 लोहिया की बात समझाया करता था । मान्यवर, मुझे विश्वास नहीं होता कि अचानक वे चले गये हैं । उनकी आवाज से निकला शब्द ऐसा लगता था. . . जैसे सद्यः स्नात हो. . . जैसे कि शब्द नहाकर निकला हो और वह बिल्कुल बेलौस बात करते थे । तो उनकी स्मृति में, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखी हूं और ऐसा लगता है, वह किसी पार्टी के नेता नहीं थे, न ही उन्होंने अपनी अलग से कोई सम्पत्ति अर्जित की थी, न जीप से चलते थे—जो भी साधन मिल गया साइकिल या बस, उसी से चला करते थे । मैं उनकी स्मृति में उनके श्री-चरणों में प्रणाम करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे शोकोद्गार उनके परिवार तक, यद्यपि मैं उनके घर होकर आया हूं और सम्भवतः हमारे दल के वरिष्ठ नेता भी उनके घर जा रहे हैं, पहुंचा देने का कष्ट करें । मैं परमात्मा से यह भी प्रार्थना करता हूं कि वह उन्हें मोक्ष दें । और आप मेरी ओर से ये शोकोद्गार उनके परिवार और शुभचिन्तकों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं अपने इस सदन के वर्तमान सदस्य श्री देवकी नन्दन जी जो कल तक थे और इस सदन में बैठा करते थे, किन्तु आज नहीं हैं हमारे बीच, उनके स्वर्गवास के संबंध में हमारे नेता सदन, उप नेता प्रतिपक्ष माननीय गुप्त जी, नेता कांग्रेस पार्टी श्री प्रमोद तिवारी, नेता जनता दल श्री किरनपाल सिंह जी, माननीय नेता कम्युनिस्ट पार्टी (भारतीय) श्री उदल जी, माननीय नेता कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), माननीय नेता जनता दल और उनके गृह जनपद के विधान सभा के माननीय सदस्य श्री हृदय नारायण जी ने जो शोकोद्गार प्रकट किए हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए यह कहना चाहूंगा, जैसा आप लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है ।

हमारे स्वर्गीय साथी सामाजिक और राजनैतिक दोनों ही पक्षों के लिए हमेशा—सारा जीवन संघर्षरत रहे । समाजिक जीवन में उन्होंने पूरे समाज को उठाने के लिए विभिन्न संस्थाओं में अपना योगदान करके समाज के उत्थान की जो पहली सीढ़ी होती है, शिक्षा, उसमें उन्होंने पूरा-पूरा योगदान किया । इसके साथ-साथ देश की राजनैतिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए भी उन्होंने पूरे जीवन भर योगदान किया । उन्हें तीन बार सम्मानित सदन में बैठने का भी अवसर प्राप्त हुआ और यहां रहकर भी उन्होंने हमारे समाज और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए और ज्वलन्त समस्याओं को सुलझाने लिए बहुत कुछ योगदान किया । आज वह हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन उनके कार्य और उनके विचार, उनके आदर्श हम सब को और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में बने रहेंगे । हम आगे और कुछ बात न बढ़ाकर इतना ही कहेंगे कि धीरे-धीरे हमारे समाज से, प्रदेश से और देश से ऐसे समाज सेवी और विचारक हमसे दूर होते जा रहे हैं जिनकी इस वर्तमान समय में बहुत ही आवश्यकता है । लेकिन हम सब का किसी का वश उस अज्ञात शक्ति के सामने कुछ नहीं है

इसलिए हम इतना ही कहकर अपने को संतोष देते हैं कि जो होना होता है वह होगा और इसके साथ ही साथ मैं अपनी ओर से और इस सम्मानित सदन की ओर से परम पिता परमात्मा से यह प्रार्थना करूंगा कि वह उनकी आत्मा को शाश्वत शान्ति और उनके शोकसंतप्त परिवार को धैर्य धारण करने की क्षमता प्रदान करें । इसी के साथ हम दो मिनट के लिए खड़े होकर मौन रखेंगे ।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर 2 मिनट मौन रहे)

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 11 बजकर 25 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

30 मार्च, 1994

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0 एल0 92 वि0 सभा (140) 1994-813 प्रतियां ।

नत्थी 'क'

(देखिए ता0 प्र0 स0 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 11 पर)

5वें बुधवार हेतु निर्धारित श्री रंग नाथ मिश्र द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 18 का संलग्नक–फसलों को रोगों से बचाने के लिए उपलब्ध अनुदान का विवरण।

क0सं0	योजना का नाम	कार्यक्रम/दवाओं के नाम	अनुदान का विवरण
1	2	3	4
1	एकीकृत चावल विकास कार्यक्रम	(क) खरपतवार नियंत्रण ब्यूटाक्लोर. बेन्थियोकार्ब, ब्रनिलोफास तथा 2, 4-डी	मूल्य पर 50 प्रतिशत
		(ख) कीट/रोग नियंत्रण हेतु कार्बोफ्यूरान. फोरेट मोनोक्रोटोफास फास्फेमिडान, मैलाथियान, क्यूनालफास, कापर आक्सीक्लोराइड, कार्बेन्डाजिम, मैंकोजेब, स्ट्रेप्टोसाइक्लीन, जिंक फास्फाइड।	,, 25 ,,
2	विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (मक्का, ज्वार, बाजरा एवं रागी)	(क) खरपतवार नियंत्रण (मक्का. ज्वार, रागी में) सीमार्जीन, एट्राजीन, 2 4-डी 0।	मूल्य पर 50 प्रतिशत
		(ख) कीट/रोगों के उपचार हेतु इण्डोसल्फान. फास्फेमिडान, डाईक्लोरोवास, फोसीलान, कार्बोफ्यूरान, मैलाथियान, आक्सीडिमेटान मिथाइल, मोनोक्रोटोफास, फेनिट्रोथियान, मैंकोजब, सल्फर, मैटालैक्सिल, कार्बन्डाजिम, थीरम जिंक फास्फाइड एव ब्रोमोडियोलान	,, 25 ,,
3	आसू उत्पादन कार्यक्रम	कीट/रोग नियंत्रण हेतु	मूल्य पर 25 प्रतिशत अधिकतम रु0 100 प्रति हेक्टर 4 बार छिड़काव के लिए अर्थात् 4 बार में अधिकतम रु0 400/-
		(अ) कीटनाशक रसायन— इण्डोसल्फान. मोनोक्रोटोफास, फास्फमिडान, आक्सी.डिमटान–मिथ.इल, फनवलरेट, कार्बोफ्युरान, फोरेट, डाइमिथोएट, फैनिट्रोथियत, फन्थोएट, डाईफ्लूबन्जुरान, इमिमोम, क्लोरपायरीफास एव क्यूनालफास।	

1	2	3	4
		(ब) फफूंदीनाशक--- कार्बेन्डाजिम, थिरम, स्ट्रेप्टो-साइक्लीन, कैप्टाफाल, मकोजेब, कापर आक्सोक्लोराइ एवं कार्बोक्सिन ?	
		(स) खरपतवारनाशक--- एलाक्लोर, फलक्लोरोलीन एवं डयूरान	
		(द) चूहानाशक--- जिंक फास्फाइड, ब्रोमोडियोलीन एवं क्यमाटेट्रालिस	
4	हिलहन उत्पादन कार्यक्रम	(अ) मूंगफली में सफेद गिड़ार नियंत्रण हेतु--- क्लोरपायरीफास अथवा क्यूनालफास से बीज शोधन ।	शत प्रतिशत
		(ब) कीट/रोग नियंत्रण 1–मूंगफली–क्लोरपायरीफास, थिरम, कार्बेन्डाजिम, फास्फेमिडान 85 प्रतिशत डाईमिथोएट 30 ई0 सी0, जिंक मैगनीज कार्बोमेंट, जिनेब 75 प्रतिशत घु0 चू0	मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 100/प्रति हैक्टर ।
		2--सोयाबीन---मिथाइल पैराथियान, क्लोरपायरीफास 20 ई0 सी0, क्यूनाल-फास 25 ई0 सी0, इण्डोसल्फान 35 ई0सी0, डाईमिथोएट 30 ई0सी0, मिथाइल-ओ-डिमेटान 25 ई0 सी0. फास्फेमिडान 85 ई0 सी0	
		3--राई/सरसों- जिंक मैगनीज, कार्बोमेंट 75 प्र0 श0, जाइरम 80 प्र. श , जिनेब 75 प्र. श , मैलाथियान 5 प्राशत चूर्ण, कार्बेराइल 10 प्रतिशत चूर्ण, डी0डी0वी0पी0 76 प्रतिशत ई0 सी0, इण्डोसल्फान 35 ई0 सी0, मैलाथिदान ई0 ई0 सी0, इण्डासल्फान 4 प्रतिशत धूल, इण्डोसल्फान 35 ई0 सी0, डाजिनान 20 ई0 सी0, फास्फेमिडान 85 ई0 सी0, मिथाइल-ओ-डिमेटान 25 ई0 सी0, फेनिट्रो-थिान 50 ई0 सी0, क्लोरपा-यरीफास 20 ई0 सी0' फार्मो-थियान 25 ई0 सी0, थायोमिटान 25 ई0 सी0, मोनोक्रोटोफास 36	

1	2	3	4
		ई0सी 0, मिथाइल-पैराथियान 2 प्रतिशत धूल, क्यनालफास 1.5 प्रतिशत धूल ।	
5	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना	विभिन्न दलहनी फसलों पर कृषि रक्षा उपचार हेतु--	
		1-मूंग--इण्डोसल्फान 35 ई0सी 0, क्यूनालफास 25 ई0सी 0, डायमिथोरट 30 ई0सी 0, मिथाइल-ओ-डिमेटान 20 ई0सी 0. फास्फेमिडान 85 ई0सी 0 कापर आक्सीक्लोराइड, कार्बेन्डाजिम	मूल्य पर 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 100/प्रति हैक्टर की दर से 2 छिड़काव की सीमा तक ।
		2-उर्द--मिथाइल पैराथियान 2 प्रतिशत धूल, इन्डोसल्फान 35 ई0 सी 0, फन्थोएट 2 %. चूर्ण, डाइक्लो रोवास 76 ई0सी 0, क्लोरपायरोफास 20 ई0सी 0	
		3-मटर--घुलनशील गंधक, डाइनोकैप, कार्बेन्डाजिम, ट्राइडोमार्फ 80 ई0सी 0, जिक मैगनोज कार्बोनेट, थायोफिनेट मिथाइल 70 प्रतिशत, मैकोजेब, थाइरम. कैप्टान. बेनलेट, फोरेट 10 प्रतिशत ग्रेन्यल, कार्बोफ्युरान 3 प्रतिशत गैन्यल, फास्फमिडान 85 ई0सी 0, डायमिथोएट 30 ई0सी 0, फारमोथियान 25 ई0सी 0, डायमिथोएट 30 ई0सी 0 मिथोइल-ओं-डिटान 25 ई0सी 0 ।	
		4-मटर एवं मसूर--मैलाथियान 5 प्रतिशत चूर्ण इण्डोसल्फान 35 ई0 सी 0, मोनोक्रोटोफास ।	
		5-मसूर--फास्फेमिडान 85 ई0 सी 0, मिथाइलेल-ओं-डिमेटान 25 ई0 सी 0, डायमिथोएट 30 ई0 सी 0, इन्डोसल्फान क्लोरपायरीफास 20 ई0सी 0, क्यूनालफास 25 ई0सी 0, मैलाथियान 50 ई0सी 0, डायजिनान 20 ई0सी 0, फनिट्रोथियान 50 ई0 सी 0, मोनोक्रोटोफास 36 ई0 सी 0, कार्बेरिल 50 प्रतिशत घु0 चू0	

1	2	3	4
		6--चना एवं अरहर---इण्डोसल्फान 35 ई0 सी0, मोनोक्रोटोफास 36 ई0 सी0, क्यूनालफास 25 ई0सी0, डेल्टामेथ्रिन 2.8 ई0 सी0, परमथ्रिन, सांइपरमथ्रिन 10 ई0 सी0, मलाथियान 50 ई0 सी0, फनवेलरेट 20 ई0 सी0, मैलाथियान 5% धूल पेन्थोएट 2% धूल, इण्डोसल्फास 4% धूल, क्वयनालफास 1.5 धूल।	
6	विशेष खाद्यान्न उत्पादन योजना "गेहूं"	1-खरपतवार नियत्रण हेतु--- आइसोंप्रोट्युरान 75% अथवा 2,4-डी सोडियम साल्ट 80%। 2-दीमक नियंत्रण हेतु--- क्लोरपायरीफास 20 ई0सी0। 3-बीजशोधन---कार्बोक्सिन।	मूल्य पर 25%

ह0
कृषि निदेशक, उ0प्र0,
लखनऊ।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

नत्थी 'ख'

(देखिये अतां० प्र० सं० 100 का उत्तरपीछे पृष्ठ 51 पर)

जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत विकास खण्ड–सीखड़ ग्राम सभाओं का अनुमन्य धनराशि का विवरण

ग्राम सभा का नाम	वर्ष	
	1992–93	1993–94
1	2	3
बगहां	68121	71833
खेरा	65911	69822
पूरनपट्टी	16189	24542
बटरूल	19522	27579
नगरहा	65188	69164
पचरौन	33710	40499
नन्शीपुर	48719	54166
टी० नं० हन्सीपुर	44524	50348
फुलहा	16124	24485
डोमनपुर	36105	42680
छोटकपुर	27151	34525
पाहोम मुकुन्दपुर	17697	25916
घमैटा	51142	56371
भागीरथपुर	19009	27111
विदांपुर	70864	74333
पसही	26721	34133
पिपरही	40228	46435
घन्नूपुर	13900	20515
अनाजो लाइन सुलतानपुर	86644	88701
रूदरुली	75805	78831
चुन्हमपुर	17535	25769
कुशहन	37991	44397
सुरसी	40568	46742
केलाबेला	38562	44917
निदिया	33774	40556
अललपुरा	39579	45844
बसारत पुर	40036	46261
नझरूवन तरस	12214	20924
कन्नपट्टी	51703	56884
ईश्वरपट्टी	18753	26878
मिसिरपुरा	13900	20515
नौरिया	24202	31840
खानपुर	24858	32437

उत्तर प्रदेश विधान मंडल

1	2	3
सोंनबरसा	29074	36278
सीखड	39097	45402
कालूपुर	17471	25710
गौरिया तिशूनपुर	20099	28105
लालपुर	21773	29626
पिठल पुर	32151	39080
मूलपुर	13900	20515
शिल्पी	40741	46901
नरहिया	31767	38728
बठेरुआ	21196	29101
रामगढ कला	52584	57687
तेमापुर	33754	40538
योग	1590556	1883624

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

नत्थी 'ज'

(देखिये आ0 प्र0 सं0 106 का उत्तर पीछे पृष्ठ 54 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के पांचवें बुधवार के लिए निर्धारित श्री बरफिया लाल जुवांठा, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अता0 प्र0 संख्या- 106 के उत्तर का संलग्नक :—

1--अहेतुक सहायता	1,69.608 (व्यक्ति)		1188.88 लाख
सांकेतिक सहायता (परिवार)	877		4.39 लाख
		योग	1193.27 लाख
2--गृह अनुदान (नकद)	14847 परिवार		1484.70 लाख
(सामग्री)	14847 परिवार		1457.68 लाख
आंशिक सहायता	19658 परिवार		982.90 लाख
		योग	3925.28 लाख
3--अनुग्रह अनुदान मृतक	651		183.74 लाख
गम्भीर घायल	147		7.31 लाख
साधारण घायल	3273		85.46 लाख
मृत पशु	549		5.18 लाख
		योग	281.59 लाख

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 92 वि0 सभा- (140)- 1994-813 प्रतियां ।